पत्रिका के लिए सम्पर्क

मध्यप्रदेश

सौसर	- लीलाधर सोमकुवर	8878577473
	मोरेश्वर रंगारे	9617145254
पांढुर्णा	- सुभाष सहारे	9753899561
	राजेन्द्र सोमकुवर	9893378559
बोरगाव (रेमण्ड)	अशोक कडबे	9424938454
सिवनी	- पी.सी. टेम्भरे	9425426500
जबलपुर	- एल.एम.खोब्रागडे	9685572100
	डोमाराव खातरकर	9770026154
भोपाल	- राहुल रंगारे	9893690451
सिहोर	- रवीन्द्र बांगरे	9425842508
छिन्दवाड़ा	- एस.सी.भाऊरजार	9893880415
सारणी	- किरण तायडे	9407282113
गुना	- लक्ष्मणसिंह बौद्ध	9827309472
दतिया	- आशाराम बौद्ध	9893997750
मंडला	- अमरसिंग झारीया	9993881515

छत्तीसगढ़

चरोदा (भिलाई)	- मोरश्वर मेश्राम	9827871848
रायपुर	- सुनील गणविर	9753232894
राजनांदगाव	- रामप्रसाद नंदेश्वर	8103907945
बिलासपुर	- हरीश वाहाने	9424169477
चाम्पा	- संजीव सुखदेवे	9425575730
सारंगढ़	- नरेश बौद्ध	7828173910

उत्तरप्रदेश

लखनऊ	- निगमकुमार बौद्ध	9415750896
मोठ(झांसी)	- महेश गौतम	9452118038
आगरा	- जितेन्द्र प्रसाद	9927256608
झांसी	- अमरदीप	9695529570

महाराष्ट्र

नागपुर	- दादाराव वानखेडे	9423102300
जाफराबाद	- बुद्धप्रिय गायकवाड	9764538108
अमरावती	- बापू बेले	9403593773
मोर्शी	- देवेन्द्र खांडेकर	9370197740
पुणे	- प्रशांत घंघाळे	9765915686
मूल	- हंसराज कुंभारे	9763694293
मुम्बई	- राजु कदम	9224351635
वरोरा	- भाऊराव निरंजने	7875902211
चंद्रपुर	- रामभाऊ वाहाने	9421879386
ब्रह्मपुरी	- प्रा. एस.टी.मेश्राम	9766938647

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

अनुक्रमणिका

- संपादकीय 02
- क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति - बाबासाहेब आंबेडकर..... 03
- बुद्ध और उनका धम्म

  कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म -दीक्षा.....08
- वर्तमान घटनाक्रम.....12
- न्यायपालिका 31
- समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम 32
- समिति के आगामी कार्यक्रम 32

त्रैमासिक
प्रज्ञा प्रकाश

नियमित पढ़िए और दूसरों को पढ़ने दें.
क्योंकि यह भी एक समाजकार्य है.

प्रज्ञा प्रकाश की वार्षिक सदस्यता - रू. 80

सदस्यता राशि इस पते पर भेजें
ह्रदेश सोमकुवर,
सम्पादक
'प्रज्ञा प्रकाश' 363, बाबा बुद्धाजी नगर,
कामठी रोड, नागपुर-440 017.

संपादकीय

हालही में भारत में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला और नरेन्द्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। यह चुनाव भारत में हुए पहले चुनावो से भिन्न था। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, नरेन्द्र मोदी और इस देश की ब्राम्हणवादी ताकतों ने चुनाव की तैयारी सन 2012 को शुरु कर दी थी। आंतरराष्ट्रीय लोक संबंध की एजेंसीयोको भाडे पर लिया गया और नरेन्द्र मोदी की विकास, गुजरात मॉडल, शासकीय क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादी से संबंधीत छवी बनाने का काम उन्हें सौंप दिया गया। यह काम उन्होंने बखुबी निभाया। व्यवसाय मित्र सरकार बनेगी इस वादे के कारण बहुतसे पुंजीवादी घरानोने मोदी को मदत की। इस चुनाव में लगभग 5 हजार करोड से अधिक राशी प्रचार पर खर्च कर दी गई। भारत के मिडीया ने आंख मुंदकर मोदी का प्रचार और प्रसार किया। राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघने अपने सभी कार्यकर्ताओं को बडे पैमाने पर प्रचार करने के लिए सभी स्तर पर लगा दिया था। भारत के इतिहास मे इस चुनाव में पुंजी पतीयो का सबसे बडा योगदान रहा।

भाजपा को इस ऐतिहासिक जीत मिलने का श्रेय पिछली कांग्रेस सरकार को भी जाता है। कांग्रेस सरकार के शासन मे जो गलत काम हुए थे वह भाजपा के जीत के लिए वरदान साबीत हुए। कांग्रेस की प्रचार यंत्रणा एक परिवार तक सिमट गई और भाजपा के या मोदी के धुवांधार प्रचार के सामने बौनी सिध्द हुई। नरेन्द्र मोदी द्वारा किये गये वादों के सामने कांग्रेस सरकार द्वारा किये गये कार्य बौने हो गये। कांग्रेस सरकार के शासन में हुए भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी भाजपा के लिए चुनाव प्रचार के मुद्दे बन गये। कांग्रेस शासन से त्रस्त और भ्रष्टाचार के गुस्से के कारण तथा मोदी द्वारा विकास के नारे की और आकृष्ट होकर भारत की जनता ने भाजपा को वोट दिये। उसके अलावा भारत के मिडीया ने मतदाताओं को भाजपा को वोट देने के लिए प्रवृत्त किया। भाजपा की ऐतिहासिक जीत का सर्वाधिक श्रेय मिडीया को जाता है। चुनाव के दौरान मिडीया कभी भी निष्पक्ष नजर नहीं आया बल्कि वह पुरा मोदीमय हो गया था। इलेक्ट्रानिक मिडीया मे प्राईम टाईम में अधिक तर मोदी की ही चर्चा होती थी और मोदी का ही समाचार प्रसारण किया जाता था। मिडीया सर्वेक्षण के अनुसार मोदी को ही सर्वोच्च स्थान दिया जाता था। मोदी की रैलीयो का सिधा प्रसारण टेलीविजन पर किया जाता था। टेलीविजन पर जो चर्चाये दिखाई जाती थी वह मोदी केंद्रीत होती थी और एन्कर की चर्चाओ को मोदी के पक्ष में मोड देते थे। मिडीया ने मोदी को केवल कांग्रेस का विरोधी ही नहीं तो नई व्यवस्था प्रस्थापित करने वाला मसिहा के रुप में उसे प्रसारीत किया। मोदी के पक्ष में इस प्रकार बारबार प्रसारण करने के कारण मतदाताओं को मोदी के पक्ष कर लिया गया। प्रिन्ट मिडीया का भी यही हाल था। इस प्रकार पुरे मिडीया मे मोदी छाया हुआ था। यह इस लिए हुआ क्योंकि मोदी ने गुजरात मे पुंजीपतीयों का मित्र होने की भुमिका निभाई थी और केन्द्र में भी वह पुंजी पतीयो का मित्र होने का वादा किये थे। भारत का पुरा मिडीया पुंजीपतीयों की मालकीयत है। मिडीया कर्मीयो को ऐसी स्थिति में अपने मालिक की बात मानना अनिवार्य था इसलिए वह निष्पक्ष रुप से काम नहीं कर पाये। भारत में बहुत कम लोग विचार करते है बाकी सभी लोग खबरों से प्रभावित होकर अपना मन बनाते है। इस बात का पुरा-पुरा लाभ मोदी ने उठाया।

चुनाव के दौरान मोदी द्वारा किये गये वक्तव्यों पर गौर करना जरुरी है। उन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से इस देश के हिन्दुओं को संदेश दिया है। बांगलादेशी नागरिको को बांगलादेश वापस भेजना, जानवर का मांस समाज विदेशो में भेजने पर किसे फायदा होता है, मोदी के विरोधीयों के पाकिस्तान चले जाना चाहिए इत्यादि वक्तव्य मोदी की मुस्लीम विरोधी मानसिकता को दर्शाते है। मोदी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रचारक है और संघ के पदाधिकारीयों ने कुछ दिन पहले राम मंदिर और युनिफार्म सिविल कोड की बात कही है। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ भारत को मोदी के माध्यम से हिन्दु राष्ट्र बनाना चाहता है। यदि भारत हिन्दु राष्ट्र बना तो भारत मे खुले आम विषमता प्रचलीत होगी और मुठ्ठी भर हिन्दु राज्यकर्ता बहुसंख्य लोगों का शोषण करेंगे। भारत में संविधान लागु होने के बाद के 60 वर्षो का अनुभव

शेष पान 11 पर

क्रान्ति तथा प्रतिक्रान्ति

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

गतांक से आगे...

6.
ब्राम्हण साहित्य
II

अपने पत की पुष्टि के लिए मैं जिन-जिन ग्रंथो के उदाहरण देना चाहता हूं, वे हैः

1. भगवतगीता, 2. वेदांतसूत्र, 3. महाभारत, 4. रामायण और 5. पुराण । इस साहित्य का विश्लेषण करते हुए मैं उन तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिनमें बौद्ध धर्म के पतन के कोई कारण या कारणों का अनुमान किया जा सके।

इस साहित्य-संपदा की विषय-वस्तु का परिक्षण शुरु करने से पहले इस प्रश्न पर विचार कर लेना आवश्यक है कि इनकी रचना कब हुई होगी। संभवतः सभी इस तथ्य से सहमत नही होंगे कि उपर्युक्त साहित्य की रचना पुष्यमित्र की क्रांति के बाद हुई थी। उलटे, अधिकतर हिंदू, वे चाहें परंपरावादी हों या उदारतावादी, शिक्षित हों या अशिक्षित सभी की यह धारणा है कि काल की दृष्टि से उनका उपर्युक्त पवित्र साहित्य अत्यंत पुराना है। इस पर उनकी आगाध श्रद्धा है। इस कारण वह अपने इस साहित्य को कालातीत मान बैठते है।

भगवतगीता

आइए, हम भगवतगीता से शुरु करें। इसके रचना-काल के बारे में विवाद है। श्री तेलंग ईसा पूर्व दूसरी सदी को अंतिम सदी मानते है, जिसके पूर्व गीता की रचना अवश्य हो गई होगी। स्वर्गीय तिलक2 का दृढ़मत था कि वर्तमान गीता का रचना-काल हर हालत में शक संवत के 500 वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए। प्रो. गार्बे3 के अनुसार गीता का रचना-काल सन 200 से 400 के बीच माना जाना चाहिए। श्री कोसांबी यह बात जोर देकर कहते है कि गीता की रचना गुप्तवंशीय नरेश बालादित्य के शासन-काल में हुई थी। बालादित्य उस गुप्त वंश से संबंधित था जिसने आंध्रवंश को सत्ताच्युत कर दिया था। बालादित्य सन 467 में सत्तारुढ़हुआ। गीता के रचना-काल को इतने बाद का बताने के उन्होंने दो कारण दिए है : 1. शंकाराचार्य का जन्म सन 788 और मृत्यु 820 में हुई थी। उन्होंने भगवतगीता का भाष्य लिखा। इससे पहले गीता को कोई नही जानता था। शांतरक्षित के तत्वसंग्रह में इसका कही उल्लेख नही आया है जब कि शंकराचार्य के अविर्भाव के लगभग 50 वर्ष पहले यह ग्रंथ लिखा गया था। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि वसुबंधु 'विज्ञानवाद' नामक एक संप्रदाय का प्रवर्तक था। ब्रम्ह सुत्र भाष्य में इस विज्ञानवाद की वसुबंधु कृत आलोचना मिलती है। गीता में एक जगह ब्रम्ह सुत्र भाष्य का उल्लेख आया है।1 इसलिए गीता की रचना वसुबंधु और ब्रम्ह सुत्र भाष्य के बाद ही हुई होगी। वसुबंधु गुप्तवंशीय नरेश बालादित्य का गुरु था। इसी आधार पर पुरी भगवतगीता का लेखन या कम से कम उसके कुछ अंशो का मुल गीता में जोड़ा जाना निश्चय ही बालादित्य के शासनकाल में या उसके बाद अर्थात सन 467 के लगभग हुआ होगा।

यद्यपि भगवतगीता के रचना-काल के बारे में तो मतभेद पाया जाता है, किन्तु इस बारे में किसी तरह का मतभेद नही मिलता कि भगवतगीता के कालांतर में अनेक संस्करण हुए थे। सभी इस बारे में सहमत है कि आज हमें भगवतगीता जिस स्वरुप में उपलब्ध है, वह उसका मुल रुप नही है। अलग-अलग समय में अलग-अलग संपादकों के हाथों इसमें क्षेपक जुड़ते रहे है। यह भी स्पष्ट है कि जिन-जिन संपादकों के हाथों इसमें रुपांतर होता रहा है, उन सबकी क्षमता समान नही थी। प्रो. गार्बे कहते है2 :

गीता निश्चय ही कोई ऐसी कलात्मक कृति नही जिसकी रचना किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति ने की हो। इसमें कल्पना की उड़ान तो बहुत बार दिखाई पड़ जाती है, किन्तु वह भी कभी-कभी ही। इसमें केवल आडंबरपूर्ण और अर्थहिन शब्दावली

के माध्यम से बार-बार किसी एक ही विचार की आवृत्ति दिखाई पड़ती है। कभी-कभी तो साहित्यिक अभिव्यक्तियां भी प्रचुर मात्रा में दोषपूर्ण पाई जाती है। अनेक छंद उपनिषदों से ज्यों के त्यों उठाकर रख दिए गए लगते है। और यही बात ऐसी है, जिसकी अंतःप्रेरणा से युक्त हर कवि सदा बचना चाहेगा। सत्व, रजस और तमस का व्यवस्थित विवेचन पांडित्य प्रदर्शन भर के लिए हुआ है। इनके अतिरिक्त, कई ऐसी बातें और है जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि गीता किसी सच्चे और सर्जनात्मक कविहृदय की उपज नही है...होपकिन्स का भगवतगीता के बारे में कथन है कि यह कृति अपनी उदात्तता और अपने बचकानेपन, अपनी तार्किकता और उसके अभाव, दोनों के बारे में विशिष्ट है, अपनी यत्र-तत्र अभिव्यक्ति शक्तिमता और सहस्यात्मक प्रशंसा के बावजूद भगवतगीता काव्यात्मक कृति की दृष्टि से संतोषजनक नही है। एक ही बात को बार-बार दोहराया गया है। आवृत्ति दोष के साथ ही साथ इसमें पदावली और अर्थ में परस्पर विरोध के असंख्य उदाहरण मिलते है। इन सब बातों को देखते हुए यदि इसके बारे में यह कहा जाए कि 'यह एक अदभुत गीत है जो रोमांचित कर देता है, तो किसी को आश्चर्य नही होगा।

यह कहकर कि यह सब विदेशियों के विचार है, इन तथ्यों को झुठलाया नही जा सकता। प्रो. राजवाडे1 भी इनसे पूर्णतः सहमत लगते है। वह कहते है कि जिन लोगों का भगवतगीता की रचना में हाथ रहा होगा, उन्हें व्याकरण के नियम भी मालूम नही थे।

सभी इस तथ्य से तो सहमत है कि अलग-अलग संपादको के हाथो में पड़कर गीता के अलग-अलग संस्करण तैयार हुए, किन्तु उनमें इस बात को लेकर असहमति है कि गीता में कौन से अंश जोड़े गए है। स्वर्गीय राजाराम शास्त्री भागवत के अनुसार मुल गीता में केवल साठ श्लोक थे। हम्बोल्ट का यह विचार रहा कि मुलतः गीता में केवल आरंभिक ग्यारह अध्याय ही थे। बारहवें से लेकर अठ्ठारवे अध्याय तक की समस्त सामग्री बाद में जोड़ी गई थी। होपकिन्स के अनुसार गीता के आरंभिक चौदह अध्याय ही उसका मर्म है। प्रो. राजवाडे दसवें और ग्यारहवें अध्यायों को प्रक्षिप्त मानते है। प्रो. गार्बे कहते है कि भगवतगीता के 146 छंद गए है, जो मुल गीता के अंश नही थे। इसका अर्थ यह है कि गीता का लगभग पांचवा हिस्सा नया है।

गीता का लेखक कौन है, इसके बारे में कही उल्लेख नही मिलता। गीता तो समरभूमि में अर्जुन और कृष्ण का संवाद है, जिसमें कृष्ण ने अपने दर्शन का प्रतिपादन अर्जुन के समक्ष किया था। इस संवाद का प्रत्याख्यान संजय ने कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सम्मुख किया था। गीता को तो महाभारत का अंश होना चाहिए था, क्योंकि जिस अवसर पर यह संवाद हुआ था, वह महाभारत की एक घटना का स्वाभाविक अंश है। किन्तु गीता महाभारत का अंश नही है, यह तो एक अलग से स्वतंत्र रचना है। फिर भी, इसके लेखक का नाम इसमें नही मिलता। हम तो केवल इतना जानते है कि व्यास ने संजय को आदेश दिया कि युद्ध-भूमि में अर्जुन और कृष्ण के बीच जो संवाद हुआ, उसे वह धृतराष्ट्र को सुनाए। इसलिए यह माना जा सकता है कि व्यास्त ही गीता के लेखक रहे होंगे।

वेदांत सुत्र

पहले कहा जा चुका है कि वैदिक साहित्य में वेद, ब्राम्हण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद सम्मिलित है। विषय-वस्तु के अनुसार इस तरह के साहित्य को दो वर्गों में बांटा जा सकता हैः (1) कर्मकांड अर्थात धार्मिक नियम, संस्कार तथा अनुष्ठान आदि से संबंधीत साहित्य और (2) ज्ञानकांड अर्थात ईश्वर (वैदिक संज्ञा-बम्ह) का ज्ञान कराने वाला साहित्य। चारों वेद और ब्राम्हण ग्रंथ वैदिक साहित्य के प्रथम वर्ग में आते है, तो आरण्यक और उपनिषद द्वितीय वर्ग।

वैदिक साहित्य की मात्रा बढ़ते-बढ़ते असिमित हो गई, किन्तु महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि यह वृद्धि जंगली घास की तरह हुई। इस तरह जो दुर्वव्यवस्था फैली, उससे छुटकारा पाने के लिए किसी तरह की व्यवस्था, किसी तरह के समन्वय की आवश्यकता थी। इसलिए जिज्ञासा संबंधी एक शाखा विकसित हुई जिसे 'मीमांसा' कहते है। मीमांसा में वैदिक साहित्य के पाठ से संबंधीत अर्थ पर विचार हुआ। जिन्होंने इस व्यवस्था, कार्य और समन्वय के काम को हाथ में लेना आवश्यक समझा, वे कर्मकांड को व्यवस्थित करने वाले, और ज्ञानकांड को व्यथित करने वाले, इन दो संप्रदायों में बंट गए। परिणाम यह हुआ कि मीमांसा शास्त्र की दो शाखाएं विकसित हो गई, जिनमें से एक पूर्व मीमांसा शाखा

ने वैदिक साहित्य के आरंभिक अंश, अर्थात दो और ब्राम्हण ग्रंथो पर विचार किया। इसलिए यह पूर्व मीमांसा कहलाई। उत्तर मीमांसा शाखा ने वैदिक साहित्य के बाद वाले अंश, अर्थात आरण्यकों और उपनिषदों पर विचार किया, इसलिए यह उत्तर मीमांसा कही जाती है।

यद्यपि इन दोनों के सुत्र मीमांसा शास्त्र से संबंधीत है, फिर भी जैमिनी के सुत्र मीमांसा सुत्र2 कहलाते है, जब कि बादरायण के सुत्र वेदांत सुत्र। वेदांत का अर्थ है, वेद का अंत, अर्थात वेदों के अंतिम अध्याय में प्रतिपादित सिद्धांत। वेदों के अंतिम अध्याय से अर्थ है, उपनिषद और उपनिषदों को वेदों का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। चूंकि बादरायण के सुत्रों ने इसके व्यवस्थापन और समन्वय का काम किया है, इसलिए इन सुत्रों को वेदांत सुत्र3 कहते है। वेदों के अध्याय में प्रतिपादित इन्ही सिद्धांतो के अनुसार संजय को उक्त आदेश दिया गया था। वेदांत सुत्रों का यही उदगम है।

यह बदरायण कौन है? उसने इन सुत्रों का प्रणयन क्यों किया और कब किया? इस नाम को छोंड़कर बादरायणा के बारे में और कोई जानकारी उपलब्ध नही है।1 यह भी निश्चित नही है कि लेखक का यह नाम वास्तविक नाम था या नही। यहां तक कि इन सुत्रों के बडे-बडे भाष्यकारों में भी इन सुत्रों के रचयिता के बारे में पर्याप्त मतभेद है। कुछ कहते है कि इनके लेखक बदरायण थे। कुछ कहते है कि इन सुत्रों के रचयिता व्यास है। शेष लोगों का मत है कि बादरायण और व्यास एक ही व्यक्ति है। इन सुत्रों के रचयिता के बारे में इतने मतभेद देखकर आश्चर्य होता है।

उसने इन सुत्रों की रचना क्यों की? हर कोई इस बात को भली-भांति स्विकार कर लेगा कि ब्राम्हणों का यह कर्तव्य था कि वे वैदिक साहित्य के कर्मकांड विषयक साहित्य को व्यवस्थित और वर्गीकृत करें, क्योंकि कर्मकांड से उनका गहरा संबंध था। उनकी आजिविका का साधन कर्मकांड ही था। दूसरी ओर, वैदिक साहित्य की ज्ञानकांड शाखा में उनकी रुचि नही थी। तब वे इसे भी व्यवस्थित करने का प्रयत्न क्यों करते? ऐसा प्रश्न अभी तक न तो किसी ने उठाया है, और न ही इस विषय में अभी तक कुछ विचार ही हुआ है। किन्तु यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है और उसका उत्तर क्या है, इसका विवेचन में आगे चलकर करुंगा।

वेदांत सुत्र के बारें में दो प्रश्न और है। पहला, इसे धर्मशास्त्र विषयक कृति माना जाए या विशुद्ध दर्शन विषयक? या सुत्रकार ने इसकी रचना कर दर्शन को स्थापित धर्मशास्त्र के साथ संगठन करना चाहा है, तांकि धार्मिक कर्मकांड को घातक और हानिकर होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न वेदांत सुत्र के भाष्यों से संबंधीत है। कुल मिलाकर पांच भाष्य उपलब्ध है जो सुप्रसिद्ध आचार्यों के है। ये सभी बौद्धिक दृष्टि से मेधावी विद्वान थे। इनके नाम है : 1. शंकराचार्य (788-820), 2. रामानुजाचार्य (1017-1137), 3. निंबार्काचार्य (मृत्यु 1162), 4. मध्वाचार्य (1197-1276) और बल्लभाचार्य (जन्म 1417) इन आचार्यों की वेदांत सुत्र की व्याख्या वेदांत सुत्र से भी अधिक प्रसिद्ध हुई। इनके बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि वेदांत सुत्र के एक ही पाठ की इन पांचो आचार्यों ने पांच अलग-अलग विचारधाराओं के अनुसार व्याख्या प्रस्तुत की। शंकर ने बताया कि वेदांत सुत्र परम अद्वैत की शिक्षा देते है, जब कि रामानुज के अनुसार विशिष्ट द्वैत की निंबार्क के अनुसार द्वैताद्वैत की, माधव के अनुसार द्वैत की और वल्लभ के अनुसार शुद्ध द्वैत की। इन सभी पारिभाषिक शब्दों का क्या अर्थ है, यहां मैं इस पर विचार नही करुंगा। मैं तो केवल इतना भर बताना चाहता हूं कि एक ही सुत्र संग्रह की पांच अलग-अलग व्याख्याओं के परिणामस्वरुप पांच अलग-अलग संप्रदायों के उदय और विकास की आवश्यकता क्यों पडी? क्या यह केवल व्याकरण का विषय है? या इन विधिध व्याख्याओं या टीकाओं के पीछे और कोई उद्देश्य छिपा है? इतने प्रकार की टीकाओं के कारण एक और प्रश्न उठता है। इन पांचो टीकाओं में आत्मा और परमात्मा को पहचानने के पांच रास्ते अपनाए गए है, जब कि वस्तुतः ये रास्ते दो ही है। एक रास्ता वह है जो शंकराचार्य ने अपनाया और दूसरा रास्ता वह है जिस पर शेष चारों आचार्य चले। यद्यपि चारों आचार्यों के बीच परस्पर मतभेद रहा, किंतु शंकराचार्य के विपक्ष में उनकी दो बातों को लेकर उनमें पूर्ण सहमति थी : 1. आत्मा और परमात्मा के बीच पूर्ण एकरुप है, और 2. संसार माया है। यही तिसरा प्रश्न उठता है। बादरायण के वेदांत सुत्रों की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य ने अपना इतना अनदेखा मत क्यों प्रतिपादित किया? क्या उन्होंने सुत्रों का आलोचनात्मक विवेचन कर ऐसा किया? या क्या ऐसा करना

उनके लिए अपने पूर्व विचारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतू अभिलाषा कल्पित चिंतन मात्र था?

मैं केवल यह प्रश्न कर रहा हूं। यहां उसका उत्तर पाने के लिए विवेचन करना नही चाहता। मैं तो यहां केवल यह जानने का इच्छुक हूं कि यह साहित्य किस काल की रचना माना जाए- बौद्ध-काल के पूर्व की अथवा बौद्ध-काल के बाद की।

वेदांत सुत्र के रचना-काल को निर्धारित करने में आरंभिक कठिनाई यह सामने आती है कि भगवतगीता की ही तरह इस ग्रंथ के पाठ में भी अनेक बार संशोधन होते रहे है। कुछ विद्वानों के अनुसार1 वेदांत सुत्र में तीन बार संशोधन हुए। इसी वजह से इसके निर्माण की सही-सही तिथि निर्धारित नही की जा सकती।2 जो विचार अब तक सामने आए है, केवल संभावित काल की ही सुचना देते है। निस्संदेह वेदांत सुत्र की रचना बुद्ध धर्म के जन्म के बाद ही हुई होगी, क्योंकि इन सुत्रो में स्पष्ट उल्लेख न होते हुए भी बौद्ध धर्म के बारे में संकेत अवश्य मिलते है। वेदांत सुत्रों की रचना मनु के बाद की नही माती जा सकती, क्योंकि मनुस्मृति में वेदांत सुत्रों का उल्लेख मिलता है। प्रो. कीथ की मान्यता है कि इन सुत्रों की रचना सन 200 के आस-पास हुई होगी। प्रो. जेकोबी कहते है कि इनकी रचना सन 200 और सन 450 के बीच हुई होगी।

महाभारत

महाभारत की रचना-तिथि का निर्धारण करना असंभव सा है। हां, उसकी रचना के युग-निर्धारण का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। महाभारत के तीन संस्करण हुए है और हर संस्करण के संपादक ने उसके शिर्षक और कथावस्तु, दोनों में परिवर्तन किए है। अपने मुल रुप में यह जय के नाम से जाना जाता था। यही मुल नाम तीसरे संस्करण के आरंभ और अंत, दोनों स्थानों में आया है। इस मुल रुप जय की रचना किसी व्यास ने कि थी। इसका दूसरा संस्करण भारत कहलाया। भारत का संपादन वैशम्पायन ने किया था। भारत नामक इस काव्य का वैशम्पायन कृत द्वितीय संस्करण ही अकेला संस्करण नहीं था। व्यास के शिष्यों में वैशम्पायन के अतिरिक्त सुमंतु, जैमिनि, पैल और शुक भी थे। इन सभी ने व्यास से विद्या ग्रहण की थी। इन्होंने अपने-अपने संस्करण तैयार किए। इस प्रकार भारत के ही चार और संस्करण उपलब्ध थे। वैशम्पायन ने इन सभी को नए रुप में ढालकर अपना नया संस्करण तैयार किया। तीसरे संस्करण का संपादक सौति था। उसने वैशम्पायन के संस्करण को नए रुप में ढाला। सौति का संस्करण अंततोगत्वा महाभारत के नाम से जाना गया। वह संस्करण आकार और कथावस्तु, दोनों रुपो में अपने पूर्ववर्ती संस्करणों का परिवर्धित रुप था। व्यास के जय नामक लघु काव्य ग्रंथ में 8,800 से अधिक श्लोक नही थे। वैशम्पायन के भारत में यह संख्या बढ़कर 24,000 हो गई। सौति ने श्लोकों की संख्या में विस्तार किया और इस तरह महाभारत में श्लोकों की संख्या बढ़कर 96,836 हो गई। कथावस्तु के रुप में व्यास के मुल काव्य में केवल कौरवों और पांडवो की युद्ध कथा थी। वैशम्पायन के काव्य में कथावस्तु में दोगुनी वृद्धि हो गई। मुल युद्ध-कथा के साथ में उपदेश, अर्थात शिक्षाप्रद घटनाएं भी जुड़ गई। इस तरह एक विशुद्ध एतिहासिक काव्य के स्थान पर इस कृति ने उपदेशात्मक रुप ग्रहण कर लिया, जिसका उद्देश्य सामाजिक, नैतिक और धार्मिक कर्तव्यों, अर्थात नित्य-नियमों की शिक्षा देना हो गया। अंतिम संपादक के रुप में सौति ने इस महाभारत को दंतकथाओं, आख्यानों, घटनाओं आदि का एक विशाल सर्वतोमुखी संग्रह बना दिया। भारत में वर्णित कथा के अतिरिक्त स्वतंत्र रुप से जितनी भी दंतकथाएं या ऐतिहासिक आख्यान प्रचलित थे, उन सबको सौति ने अपने ग्रंथ में समाविष्ट कर लिया, ताकि वे विस्मृत न हो जाएं अथवा कम से कम एक स्थान पर तो उपलब्ध हो जाएं। सौति की एक आकांक्षा यह भी थी कि भारत को शिक्षा और ज्ञान का अक्षय भंडार बना दिया जाए इसलिए उसने इसमें राजनिती, भूगोल, धनुर्विद्या आदि ज्ञान और शिक्षा की सभी शाखाओं से संबंधीत सामग्री जोड़ दी। सौति पुनरावृत्ति का शैकिन था। इसे ध्यान में रखते हुए किसी को आश्चर्य नही होना चाहिए यदि यह कहा जाए कि उसके हाथों से निकलकर भारत, महाभारत बन गया।

अब तिथि निर्धारण के बारे में विचार करें। निस्संदेह कौरवों और पांडवों का युद्ध एक अत्यंत प्राचीन घटना थी। किन्तु इससे यह अर्थ नही निकलता कि व्यास की कृति भी उस घटना की ही तरह प्राचीन है अथवा उस घटना की समकालिन रचना है। प्रत्येक संस्करण का तिथि-निर्धारण करना कठीन कार्य है। इस संपूर्ण कृति पर विचार करते हुए प्रो. होपकिन्स लिखते है :

''इस तरह मोटे तौर पर संपूर्ण महाभारत का रचना काल सन 200 से सन 400 के बीच का ठहरता है। यह निर्धारण करते समय न तो उत्तरवर्ती कॉल में हुए बाद के संस्करणों को, जैसा कि हम जानते है, ध्यान में रखा गया है और नही उन वाचिक रुप में हुए परिवर्तनों-परिवर्धनों को ध्यान में रखा गया है, जो परवर्ती प्रतिलिपिकारों के हाथों हुए होंगे।

किन्तु कुछ अन्य साक्षों के आधार पर निश्चसपूर्वक यह कहा जा सकता है कि इसकी रचना इससे भी बाद में हुई होगी।

महाभारत में हूणों का उल्लेख मिलता है। स्कंदगुप्त ने हूणों से युद्ध किया था और उन्हें सन 455 में या उसके आसपास पराजित किया। इसके बावजूद हूणों के आक्रमण सन 528 तक होते रहे। स्पष्ट है कि महाभारत की रचना उस समय या उसके बाद में हुई होंगी।

प्रो. कोसांबी 2 ने कुछ और भी संकेद दिए है, जो इसे और बाद की रचना सिद्ध करते है। महाभारत में म्लेच्छों अथवा मुसलमानों का जिक्र हुआ है। महाभारत के वन पर्व के 190 वे अध्याय के 29 वे श्लोक में रचनाकार कहता है कि सारा संसार इस्लामय हो जाएगा। सभी यज्ञ, अनुष्ठान, विधी-विधान, पर्व और त्यौहार समाप्त हो जाएंगे। इस कथन का सीधा संबंध मुसलमानों से है। यद्यपि इसका संबंध भविष्यत काल से है, फिर भी चूकि महाभारत पुराण काव्य है और पुराणों में जो हो गया है, उसी का कथन होता है, इसलिए इसे भी इसी अर्थ में लेना चाहिए। इन श्लोक की इस तरह व्याख्या कर लेने पर यह सिद्ध हो जाता है कि महाभारत की रचना भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद ही हुई होगी।

कुछ अन्य संदर्भो से भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है।

इसी अध्याय के 59 वे श्लोक में कहा गया है कि 'वृषलों के सताए हुए ब्राम्हण भय से पीड़ित हो हाहाकार करने लगेंगे और कोई रक्षक न मिलने के कारण सारी पृथ्वी पर निश्चय ही भटकते फिरेंगे।'

इस श्लोक में जिन वषलों की ओर संकेत है, वे बौद्ध नही हो सकते। इस बात का लेशमात्र भी प्रमाण नही मिलता कि बौद्धों के हाथो ब्राम्हणों को कमी सताया गया हो। उलटे, इस बात के प्रमाण मिले है क बौद्धों के शासन-काल में बौद्ध भिक्षुओं की ही तरह ब्राम्हणों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था। यहां वृषल से अर्थ है असभ्य और ऐसा विशेषण मुसलमान आक्राताओ के लिए ही प्रयुक्त हुआ लगता है।

यदि यह बात सही है, तब तो यह मानना ही पड़ेगा कि महाभारत का कुछ अंश निश्चय ही भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद लिखा गया होगा।

वन पर्व के इसी अध्याय में कुछ अन्य श्लोक भी है जो इसी निष्कर्ष की ओर संकेत करते है। ये है : 65 वां, 66 वां और 67 वां श्लोक। इनसे भी यही निष्कर्ष निकलता है। इनमें कहा गया है कि 'समाज अव्यवस्थित हो जाएगा। लोग एडूकों की पुजा करेंगे। वे देवों का बहिष्कार करेंगे। शुद्र, द्विजो की सेवा नही करेंगे। सारे संसार में एडूक व्याप्त हो जाएंगे। युग का अंत हो जाएगा।'

यहां 'एडूक' शब्द का बहुत ही महत्व है। कुछ ने इस शब्द का अर्थ बौद्ध चैत्य लगाया है। यह इसलिए कि एडूक का अर्थ है हड्डी, विशेषकर बुद्ध की अस्थियां। आगे चलकर इसका अर्थ हुआ चैत्य, क्योंकि चैत्य में बुद्ध की अस्थियां होती है, किन्तु श्री कोसांबी के मतानुसार यह अर्थ ठीक नही है। न तो बौद्ध साहित्य में, और नही वैदिक साहित्य में कही भी 'एडूक' शब्द 'चैत्य' के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उलटे, अमरकोश और उसके व्याख्याकार महेश भट्ट के अनुसार तो एडूक का अर्थ ऐसी दिवार है, जिसे लकड़ी के ढांचे से पुष्ट किया गया हो। इस अर्थ को ध्यान में रखते हुए कोसांबी ने इस शब्द का अर्थ 'ईदगाह' लगाया है, जहां मुसलमान नमाज अदा करते है। यदि यह व्याख्या सही है, तब तो स्पष्ट रुप से यही कहा जा सकता है कि महाभारत के कुछ अंश मुसलमानों के आक्रमणों, विशेषकर मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के बाद लिखे गए थे। मुसलमानों का पहला आक्रमण इब्ने कासिम के नेतृत्व में सन 721 में हुआ था। उसने उत्तरी भारत के कुछ भागों पर कब्जा तो कर लिया था, किन्तु वहां के मंदिरो और विहारों को कोई नुकसान नही पहुंचाया, और न ही दोनो धर्मों के पुजारियों का संहार ही किया था। उसने मस्जिदें और ईदगाह नही बनवाई। यह काम तो मोहम्मद गौरी ने किया। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि महाभारत का लेखन सन 1200 तक चलता रहा होगा।

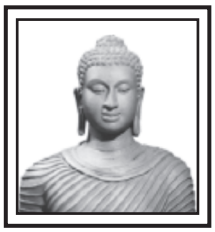

बुद्ध और उनका धम्म

लेखक डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

कुलीनों तथा पवित्रों की धम्म-दीक्षा

8. रट्ठपाल की धम्म-दीक्षा

1. एक बार जब भिक्षुसंघ सहित बुद्ध कुरू देश में चारिका कर रहे थे तो वह कुरू-जनपद के ही थुल्लकोट्ठित नाम के एक निगम में ठहरे।[7]
2. जब कुरू-वासियों को इसका पता लगा तो वे बुद्ध के दर्शनार्थ पहुँचे।
3. जब वे आकर बैठ गये, तब तथागत ने उन्हें धम्मोपदेश दिया। उपदेश श्रवण कर चुकने पर थुल्लकोट्ठित के ब्राह्मण गृहपति उठे और श्रद्धा-भक्तिपूर्वक नमस्कार कर चले गये।
4. उन ब्राह्मण गृहपतियों के बीच रट्ठपाल नाम का एक तरूण बैठा था, जो कि एक श्रेष्ठ कुलोत्पन्न था। उस के मन में आया, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ जिस धर्म का बुद्ध ने उपदेश दिया है, गृहस्थी में रहते हुए उसे उतनी पवित्रता, उतनी सम्पूर्णता के साथ आचरण में लाना आसान नहीं।
5. यह कैसा हो यदि मैं बाल-दाढी मुण्डा, काषाय वस्त्र धारण कर गृहस्थ न रह प्रव्रजित बन जाऊं -घर-बार से बे-घर-बार।
6. जब ब्राह्मण गृहपति अभी बहुत दूर नहीं भी गये होंगे, रट्ठपाल बुद्ध के पास आया और अभिवादन कर चुकने के अनन्तर उसने अपना विचार तथागत की सेवा में निवेदन किया। उसने प्रार्थना की कि उसे प्रव्रज्या मिले और उपसम्पदा मिले।
7. तथागत ने पूछा "रट्ठपाल ! इसके लिये क्या तुम्हें अपने माता-पिता की अनुज्ञा है?"
8. "तथागत ! नहीं।"
9. "जिन्हे माता-पिता से अनुज्ञा प्राप्त नहीं होती उन्हे मै प्रव्रजित नहीं करता।"
10. तरूण बोला "मै अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रयास करूंगा।" वह उठा और अत्यन्त विनम्रता पूर्वक बुद्ध से विदा ग्रहण की। घर पहुंचकर उसने माता-पिता से अपना विचार प्रकट किया और उनसे भिक्षु बनने के लिये अनुज्ञा मांगी।
11. माता पिता बोले --"रट्ठपाल ! तू हमार प्रिय पुत्र है, अत्यन्त प्रिय पुत्र। तू ही हमारा एकमात्र पुत्र है। तू आराम में रहा है, आराम में पला है। तुझे दुःख का कुछ अनुभव नहीं। जा खा, पी, मौज कर और जितने चाहे पुण्य कार्य कर । हम तुम्हें प्रव्रजित होने की अनुज्ञा नहीं देते।
12. "तुम नहीं रहोगे तो हमारा जीना दूभर हो जायेगा। हमारे लिये जीने में कुछ आनन्द नहीं रहेगा। हम तुम्हें जीते जी, घर से बे-घर हो भिक्षु बनने की अनुज्ञा क्यों दें ?"
13. रट्ठपाल ने दूसरी और तीसरी बार भी अपनी प्रार्थना दोहराई। उसके माता पिता का एक ही उत्तर था।
14. जब वह इस प्रकार अपने माता-पिता की अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल रहा, तो वह तरूण नंगी जमीन पर लेट गया और बोला - " या तो मैं भिक्षु बनूंगा, या यहीं पड़ा पड़ा मर जाऊंगा"।
15. उसके माता-पिता ने भिक्षु बनने के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए उससे उठ बैठने का बहूत आग्रह किया। लेकिन रट्ठपाल मुंह से एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने दूसरी बार, और तीसरी बार भी -इस प्रकार बार-बार आग्रह किया, तब भी रट्ठपाल चुप ही रहा।
16. उसके माता-पिता ने रट्ठपाल के मित्रों को सारी बात बता कर उनसे कहा कि वे अपनी और से रट्ठपाल से आग्रह करें।
17. उसके मित्रों ने तीन बार प्रयास किया, किन्तु वह एक

शब्द नहीं बोला। तब उसके मित्र रट्ठपाल के माता-पिता के पास गये और बोले - वहाँ वह नंगी जमीन पर पड़ा है । कहता है या तो भिक्षु बनूंगा , या वहीं पड़ा मर जाऊंगा। यदि तुम अनुज्ञा नहीं दोगे तो वह जीते जी कभी नहीं उठेगा। लेकिन यदि तुम अनुज्ञा दे दोगे तो उसे भिक्षु बनने पर भी देख सकोगे। यदि भिक्षु-जीवन में उसका मन नहीं रमेगा अर्थात् उसे भिक्षु रहना अच्छा नहीं लगेगा तो यहीं वापस चले आने के अतिरिक्त दूसरा क्या करेगा ? आप उसे अपनी अनुज्ञा दे ही दें। ''

18. ''अच्छा, हम अपनी अनुज्ञा देते हैं। किन्तु भिक्षु बन चुकने के बाद हमें मिलने के लिये आना होगा।''
19. उस के मित्र तुरन्त रट्ठपाल के पास गये। उन्होंने उसे जाकर कहा- ''तुम्हारे माता-पिता ने तुम्हें इस शर्त पर भिक्षु बनने की अनुमति दे दी है कि भिक्षु बनने पर तुम उनसे मिलने आओगे।''
20. तब रट्ठपाल उठ बैठा और सशक्त होने पर तथागत के पास पहुंचा और अभिवादन कर चुकने पर एक ओर बैठकर निवेदन किया -- ''मुझे अपने माता-पिता से भिक्षु बनने की अनुज्ञा मिल गई है। मेरी प्रार्थना है कि भगवान् मुझे संघ में दीक्षित कर लें।''
21. रट्ठपाल ने प्रव्रज्या और उपसम्पदा प्राप्त की। थुल्लकोट्ठित में यथेच्छ ठहर कर, इसके दो सप्ताह बाद, भगवान बुद्ध चारिका के लिये श्रावस्ती मे ओर चल पड़े। श्रावस्ती मे वे अनाथपिण्डक के जेतवनाराम में विहार करने लगे।
22. अकेले, एकान्त में रहते हुए सतत प्रयत्न-शील रट्ठपाल ने अचिर काल में ही उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया जिसकी प्राप्ति के लिये कुल-पुत्र घर से बेघर हो भिक्षु-जीवन ग्रहण करते हैं - मानव का श्रेष्ठतम आदर्श।
23. तब वह बुद्ध के पास गया और अभिवादन कर चुकने के अनन्तर बोला - ''आप की अनुज्ञा से मैं अपने माता-पिता को देख आना चाहता हूँ।''
24. अपने चित्त से रट्ठपाल के चित्त को जान कर और रट्ठपाल के पुनः गृहस्थ न बनने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होकर तथागत ने उसे जब चाहे जाने की अनुमति दे दी।
25. तब अत्यन्त विनम्रतापूर्वक बुद्ध से विदा ग्रहण कर, अपना पात्र चीवर ले रट्ठपाल थुलकोट्ठित की ओर चारिका के लिये निकल पड़ा जहां पहुँच कर उसने कुरू-नरेश के मृगोद्दान में विहार किया।
26. दूसरे दिन प्रातः काल जब वह भिक्षाटन के लिये निकला तो प्रत्येक घर के सामने भिक्षा के निमित्त खड़ा होता हुआ रट्ठपाल अपने ही घर के द्वार पर आ पहुंचा।
27. अन्दर, कमरे के बीच दरवाजे में, उसका पिता कंघी से अपने बाल सँवार रहा था। रट्ठपाल को दूर से आता देख कर बोला - ऐसे ही सिरमुंडोंने मेरे इकलौते प्रिय पुत्र को घर से बे-घर बना दिया।
28. इसलिये अपने ही पिता के घर से रट्ठपाल को कुछ मिला, एक इनकार तक नहीं; मात्र गालियाँ।
29. ठीक उसी समय घर की एक दासी पहले दिन का बासी चावल फेंकने जा रही थी। रट्ठपाल ने उसे कहा : - बहन यदि इसे फेंकने जा रही है तो इसे मेरे पात्र में ही डाल दे।''
30. जब दासी उसके पात्र में बासी चावल डाल रही थी, उसने रट्ठपाल के हाथ, पाँव और स्वर पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी अपनी मालकिन के पास गई और बोली -- मालकिन ! मालुम होता है कि छोटे मालिक वापस लौट आये हैं।''
31. मां बोली, ''यदि तेरा कहना ठीक है तो तू दासता के बंधन से इसी क्षण मुक्त हुई।'' वह दौडी दौड़ी अपने पति के पास गई और कहा कि उसने सुना है कि उसका पुत्र लौट आया है।
32. झाड़ी के नीचे बैठा रट्ठपाल वह बासी चावल खा रहा था कि पिता आ पहुंचा। बोला -- ''प्रिय पुत्र । क्या यह ठीक हो सकता है कि तुम यह बासी भात खा रहे हो ? क्या तुम्हें अपने घर नहीं आना चाहिये था?
33. रट्ठपाल का उत्तर था ''गृहपति । हम बे-घरों का क्या घर ? हम तो घर छोड़ चुके। हाँ, मैं तुम्हारे घर आया था, जहां मुझे कुछ नहीं मिला, इन्कार भी नही; मात्र

गालियां।''

34. ''पुत्र! आओ। घर चलें। '' ''नहीं गृहपति ! मेरा आज का भोजन समाप्त हो गया।''
35. ''अच्छा तो, पुत्र कल का भोजन ग्रहण करने का वचन दो।''
36. भिक्षु रट्ठपाल ने मौन से स्वीकार कर लिया।
37. तब पिता घर के भीतर गया। उसने आज्ञा दी कि सोने का ढेर लगाकर उसे चटाई से ढक दिया जाय। उसके बाद उसने अपनी पुत्र-वधु से जो रट्ठपाल की पूर्व-भार्या थी, कहा कि वह अपने को अच्छे से अच्छे उस श्रृंगार से अलंकृत करे जिस में अलंकृत देखकर उसका पति उससे प्रसन्न होता था।
38. रात के बीतने पर घर में अच्छे से अच्छा भोजन तैयार कर, रट्ठपाल को तैयारी की सूचना दी गई। उस पूर्वाह्न में रट्ठपाल उचित ढंग से चीवर धारण किये तथा अपना पात्र-चीवर लिये आकर अपने लिये सज्जित आसन पर विराजमान हुए।
39. तब उस सोने के ढेर पर से चटाई हटवाकर रट्ठपाल के पिता ने कहा - ''यह तुम्हारा मातृ-धन है। यह पतृि-धन है। यह तुम्हारे दादा के समय से चला आया है। तुम्हारे पास भोगने के लिये बहुत है और पुण्य करने के लिये भी बहुत है।
40. ''पुत्र। आ। अपनी श्रमण-चर्या को त्याग दो। गृही के निम्नस्तर के जीवन को पुनः अंगीकार कर ले। भोग भी भोग और पुण्य भी कर।''
41. रट्ठपाल का उत्तर था :- ''गृहपति! यदि मेरा कहना मानो तो सोने के इस सारे ढेर को गाड़ी में लदवाकर बीच गंगा में फेंकवा दो। यह किस लिये ? क्योंकि इस से तुम्हें दुःख विलाप, क्लेश, मन और शरीर की पीड़ा और कष्ट ही होने वाला है।''
42. उसके पांव पकड़ कर रट्ठपाल की अन्य पत्नियां पूछने लगीं कि आखिर वे अप्सरायें कैसी हैं जिनके लिये वह यह ब्रह्मचर्य वास कर रहा है ?
43. रट्ठपाल का उत्तर था - ''बहनों। किन्हीं अप्सराओं के लिये नहीं।''
44. अपने लिये ''बहनों' सम्बोधन सुना तो सभी देवियां मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ीं।
45. रट्ठपाल ने पिता से कहा, ''गृहपति। यदि भोजन कराना है तो दो, कष्ट मत दो।''
46. ''पुत्र ! भोजन तैयार है, करो'', कहकर पिता ने रट्ठपाल को यथेच्छ भोजन करावाया।
47. भोजनान्तर रट्ठपाल कुरू-नरेश के मृगोद्यान में चला गया और वहाँ पहुचकर मध्यान्ह की कड़ी धूप के समय एक वृक्ष की छाया के नीचे बैठ गया।
48. अब राजा ने अपने माली को आज्ञा दे रखी थी कि उसके बाग को देखने आने से पहले वह उसे ठीक''ठाक करके रखे। माली अपना काम कर रहा था, उसने रट्ठपाल को एक वृक्ष के नीचे बैठा देखा। उसने राजा को सूचना दी कि बाग और तो सब तरह से ठीक-ठाक है, लेकिन, एक वृक्ष के नीचे वह रट्ठपाल विराजमान है जिन के बारे में महाराज ने सुना हैं।
49. ''आज उद्यान-यात्रा रहने दो। आज मैं उन श्रमण के दर्शन करूंगा।'' जितना भी भोजन आवश्यक था, उस सब की तैयारी की आज्ञा दे, अपने अनुयायियों को साथ ले वह राजकीय रथ पर चढ़ा और रट्ठपाल को देखने के लिये नगर से बाहर निकला।
50. जहां तक रथ से जाना योग्य था, वहां तक रथ से जाकर और आगे पैदल चलकर, अपने अनुयायियों सहित राजा वहां पहुँचा जहां रट्ठपाल विराजमान थे। कुशल-क्षेम की बात-चीत हो चुकने पर स्वयं अभी भी खड़े हुए राजा ने रट्ठपाल को फूलों की एक ढेरी पर बैठने का निमंत्रण दिया।
51. ''नही राजन् । आप वहां बैठे । मै अपने स्थान पर बैठा हूँ ।''
52. संकेत किये गये स्थान पर बैठकर राजा ने कहा - रट्ठपाल ! चार तरह की हानियाँ हैं जिन के कारण आदमी दाढ़ी मूछ मुड़वा , काषाय वस्त्र धारण कर घर से बेघर हो जाते हैं - (1) बुढापा, (2) गिरता हुआ स्वास्थ्य, (3) दरिद्रता, (4) निकट सम्बन्धियों का मरण।
53. एक आदमी को लो, जो वृद्ध होने पर, बहुत आयु प्राप्त हो जाने पर, जरा-जीर्ण हो जाने पर, अन्तिम समय के नजदीक आ पहुँचने पर उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके

पास है उस से गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे बुढ़ापे से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारी तो अभी चढ़ती जवानी है, काले काले केश हैं जिन्हे सफेदी छू भी नहीं गई है; तुम्हे तो बुढापे से उत्पन्न होने वाली किसी हानि का खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गये ?

54. या एक आदमी को लो जो रोग-ग्रस्त है, जिसे बड़ा कष्ट है और जो बहुत बीमार है, उसे या तो और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बे घर होने का निश्चय कर लेता है। इसे गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम न तो बीमार ही हो और न तुम्हें कष्ट ही है, तुम्हारा हाजमा अच्छा है ... तुम्हें गिरते हुए स्वास्थ्य से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना है कि तुम घर से बेघर हो गये हो ?
55. या एक आदमी को जो बड़ा धनी रहा है, जिसके पास बड़ी सम्पत्ति रही है और धीरे धीरे उसका नाश हो गया है या तो उसे और कमाने में कष्ट अनुभव होता है या जो कुछ उसके पास है उससे गुजारा नहीं चलता, तो वह घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हें। लेकिन तुम तो न दरिद्र हो न सम्पत्ति शून्य हो ... तुम्हें तो दरिद्रता से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नही, तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बे-घर हो गये हो ?
56. या एक आदमी को लो जिसके सगे-सम्बन्धी जाते रहे हैं, जिसके रिश्तेदारों का मरण हो गया है उसे या तो और कमाने में कष्ट होने लगता है या जो कुछ उसके पास है उस से गुजारा नहीं चलता. तो व घर से बेघर होने का निश्चय कर लेता है। इसे समबन्धियों के मरण से उत्पन्न होने वाली हानि कहते हैं। लेकिन तुम्हारे तो मित्रों और सगे-सम्बन्धियों की कमी नहीं। तुम्हे तो सगे-सम्बन्धियों के मरण से उत्पन्न होने वाली किसी हानि से कोई खतरा नहीं। तुमने क्या जाना, देखा या सुना कि तुम घर से बे-घर हो गये?''
57. ''राजन ! मैं घर से बे-घर इसलिये हो गया कि मैने मैं चार बाते जानी, देखी और जानने वाले तथा देखने वाले सम्यक सम्बुद्ध से सुनी -
(क) संसार अनित्य है, निरन्तर परिवर्तनशील हैं ।
(ख) संसार का कोई मालिक वा संरक्षक नहीं।
(ग) हमारा कुछ भी नहीं, हमें सभी कुछ पीछे छोड़ जाना है।
(घ) तृष्णा के वशीभूत होने से ही संसार दुःखी हैं।
58. ''यह अद्‌भुत है। यह अद्‌भुत है, ''राजा कह उठा'' इस विषय में तथागत का कथन कितना सत्य है!''

संपादकीय

शेष पान 2 से

यह दर्शाता है कि, शासनकर्ताओं ने इस देश के प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, संस्था, मिडीया, और जनता के लिए बनी सभी संस्थाओं को प्रभावित किया और संविधान विरोधी काम किये और किये जा रहे है। यही ब्राम्हणवादी ताकतें मोदी के माध्यम से यदि हावी होती है तो इस देश में प्रजातंत्र समाप्त होने का डर है। मोदी द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के तुरंत बाद इस बात के संकेत मिलने शुरु हो गये। मोदी ने कट्टर हिन्दुत्ववादी वि. दा. सावरकर का आशिर्वाद लिया।

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था, भारत का इतिहास ब्राम्हणीजम और बुध्दीजम के बीच संघर्ष के अलावा और कुछ नहीं है। अर्थात, विषमतावादीयों और समतावादीयों के बीच संघर्ष ही भारत का इतिहास है। यदि इस देश में विषमतावादी ब्राम्हणी ताकतें हावी होती है तो निश्चित रुप से समता पर आधारित संविधान को खतरा होगा। अतः मानव कल्याण एवं समता में विश्वास रखने वाले सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि संभावित खतरे से निपटने के लिए तथागत बुध्द की मानव कल्याणकारी शिक्षा को अपनाए।

वर्तमान घटनाक्रम

➤ हरियाणा में अनुसूचित जाति की महिलाओं पर बलात्कार

हरियाणा सरकार की अनुसूचित जाति के प्रति उदासिनता एवं द्वेष के कारण हरियाणा में अनुसूचित जातियों पर अत्याचार बढ़ रहे है। इन अत्याचारों में हरियाणा के नेता और उनके रिश्तेदार लिप्त होते है इसलिए अनेक मामलों में पिड़ित लोगों की रिपोर्ट पुलिस ठाणे में दर्ज नहीं की जाती। जिन थोडे मामलों में पुलिस द्वारा सामाजिक दबाव के कारण रिपोर्ट दर्ज की जाती है उन मामलों में उचित कार्यवाही नहीं की जाती या कार्यवाही करने में विलंब किया जाता है ताकि अपराधियों को बचाव का मौका मिल सके। अत्याचार के विरोध में यदि अनुसूचित जाति के लोग विरोध करते है तो उन्हें सवर्ण गुंड़ों के डर के कारण गांव छोड़ने पर मजबुर होना पडता है। गांव छोड़ने के बाद उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता। इतना सब सहने के बाद भी उन्हें वर्षो तक न्याय की प्रतिक्षा करनी पडती है। हरियाणा में लगभग 20 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग रहते है। वह आज भी विषमता और गुलामी के विचार बने हुए है और जाट समुदाय के आंतक के कारण भय ग्रस्त जीवन बिता रहे है।

दिनांक 23 मार्च 2014 को रात के करीब 8 बजे भगना गांव की 4 लड़कियां शौच को जा रही थी। उस वक्त एक कार में 5 लोग आये और उन चारों लडकियों को कार में बिठाकर ले गये। और दूर खेत मे जाकर उन लडकियों के साथ बलात्कार किया। अगले दिन सुबह उन्हें भटिन्डा रेल्वे स्टेशन पर छोड दिया।

भगना गांव हरियाणा के हिसार जिले मे स्थित है। देर रात तक जब लड़कियां घर नहीं लौटी तब उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। इन लडकियों के पिता गांव के सरपंच राकेश पंगड के पास पहुंचे और उनकी लडकियां गायब होने की बात उन्हें बताई। सरपंच ने उन्हें बताया की लडकियां सुबह वापस आ जाएगी। इसका अर्थ यह है कि, सरपंच को लडकियों के गायब करने की जानकारी थी और वह अपराधियों की योजना को पुरी तरह जानता था। अगले दिन उसी ने पिडित लडकियों के पिता को यह बताया की लडकियां भटिन्डा रेल्वे स्टेशन पर मिल गई है। लडकियों के पिता और सरपंच मिलकर भटिन्डा पहुंचे। भटिन्डा के रेल्वे स्टेशन पर उनको चारों लडकियां मिल गई। जब वह लडकियों के साथ वापस आ रहे थे तब सरपंच ने रोड के बाजू वाली होटल में रुकने को कहां। उसने लडकियों को होटल के उपर वाले कमरे में भेज दिया और बाकी लोग निचे रेस्टॉरेन्ट में चाय पिने के लिए चले गये। सरपंच ने लडकियों के पिता को कहा कि, उसे लडकियों को कुछ खाने की चिजें पहुंचानी है और वह लडकियों के कमरे मे पहुंच गया। उसने लडकियों के पास जाकर उनको चाटे मारे और कहा कि यदि कोई चीज तुमने किसी को बताई तो तुम्हारे परिवार के लोगों को हम मार डालेंगे। डर के कारण लडकियों ने 25 मार्च की सुबह तक किसी को कुछ भी नहीं बताया।

25 मार्च को जब लडकियों को असहनिय पिडा होने लगी तब उन्होंने घर की महिलाओं को आपबिती सुनाई। घर के लोगों ने उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर गये और वहां से उन्हें अस्पताल लेकर गये। मेडिकल जांच के पश्चात लडकियों पर बलात्कार किये जाने की पुष्टी हुई और पांचों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

इस घटना के बाद पिडितों के परिवार वालों ने तथा गांव के अन्य सदस्य ने भगना गांव छोड दिया और दिल्ली के जंतरमंतर के पास टेन्ट लगाकर रहने लगे। महिला, आदमी और बच्चे मिलाकर इन लोगों की संख्या लगभग 300 है। इन लोगों ने सोनिया गांधी, तत्कालिन गृहमंत्री सुशिल कुमार शिंदे, हरियाणा के मुख्यमंत्री भुपेन्द्र सिंग हुडा और महिला आयोग के पदाधिकारीयों से मुलाखात की परन्तु किसी ने भी कुछ नहीं किया। आज भी भगना गांव के अनुसूचित जाति के लोग इस भयानक गरमी में दिल्ली के जंतरमंतर पर टेन्ट में परेशानियों से जुझ रहे है। उनके बच्चों की पढाई नहीं हो पा रही है और मआवजा नहीं

मिलने के कारण खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार सभी भारतीयों को जीवन जीने का अधिकार है। हरियाणा के अनुसूचित जाति कि पिडा से यह लगता है की उस राज्य के सवर्ण गुंडों ने उन्हें जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर रखा है और इन गुंडों को संविधान के तथाकथित रखवाले नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। यहि हाल देश के अन्य भागों में है परन्तु जाति द्वेष से ग्रस्त किसी भी शासनकर्ता को अनुसूचित जाति के साथ हो रही अमानवियता और अन्याय की चिंता नहीं है। केवल वोट पाने के लिए यह नेता अनुसूचित जाति के हित की बात करते है परन्तु काम उनके विरोध में ही करते है। इसे अनुसूचित जाति के लोगों को समझना है। थोडे से लालच में बिकना नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक है और दुसरों की तरह अच्छा जीवन जीने का अधिकार हमें भी है इसे समझकर हर किसी ने स्वाभिमान पैदा करने की आवश्कता है। यह स्वाभिमान हम में पैदा हुआ तो हम हमारे मुक्ति का मार्ग पा लेगें।

➤ महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों पर लगातार अत्याचार हो रहे है

प्रगतीशील माने जाने वाले महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं है।

बुलढाणा जिले के बेलाड गांव मे अनुसूचित जातियों के लोगों पर लगभग एक वर्ष तक गांव के सवर्णो ने बहिष्कार डाला था। अनुसूचित जाति के लोगों ने संविधान निर्माता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की फोटो गणतंत्र दिन के परेड मे अन्य राष्ट्रीय नेताओं के बिच लगाई थी। तब से वह सवर्णो की नाराजी के शिकार बनें। उसके बाद उन्होंने पंचशील ध्वज का उपयोग करना और बाबासाहेब की मुर्ति के सामने वंदना लेना सवर्णों को रास नहीं आया। सवर्ण उन्हें गुलामों की तरह रखना चाहते थे। संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के मुलभुत अधिकार से उन्हें वंचित रखना चाहते थे। जब उन्होंने गुलामी स्विकार नहीं की तो उनके उपर बहिष्कार डाला गया। चिन्ता का विषय यह है कि राज्य सरकार उन अनुसूचित जाति के लोगों को एक वर्ष तक संरक्षण नही दे सकी और अपराधी सवर्णों के विरुध्द कार्यवाही नहीं कर सकी। यह साबित करता है कि महाराष्ट्र की सरकार जातिवादी है।

पिछले एक माह मे 4 अनुसूचित जाति के सदस्यों की हत्या होना इस बात की पुष्टी करती है कि महाराष्ट्र के अनुसूचित जाति के लोग सुरक्षित नहीं है। अहमदनगर जिले के खर्डा गावं के 17 वर्षीय नितिन आगे की मराठा जाति के लोगों ने हत्या कर दी। वह बहुत गरीब परिवार का सदस्य था। उसके पिता मजदुर है जबकी मराठा धनी है और उनके राजनीतिक संबंध है। नितिन आगे का कसुर इतना था कि उसने मना करने पर भी मराठा की लडकी से बात की थी। दलित, अत्याचार विरोधी कृति समिति के अनुसार पिछले वर्ष अकेले अहमदनगर जिले में दलितों पर अत्याचार के 102 प्रकरण हुये है।

औरंगाबाद जिले के देवपुर गांव मे सवर्णों ने मातंग समाज के उमेश आगले की हत्या की। उमेश आगले के सवर्ण जाती के लडकी के साथ संबंध है, इस शक के कारण सवर्णो ने उसकी हत्या कर दी।

जालना जिले में नानेगांव के अनुसूचित जाति के सरपंच मनोज कसाब को इतना अधिक मारा गया कि उसने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड दिया। उसका गणेश चौहान के साथ आंगणवाडी के निर्माण कार्य को लेकर विवाद था। इसी विवाद को लेकर गणेश चौहान और उसके साथीयों ने मनोज कसाब की जबरदस्त पिटाई की थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई।

गोंदिया जिले कवलेवाडा गांव में संजय खोब्रागडे नामक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को जातिवादीयों ने गंभीर रुप से जलाया, जिसकी नागपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु हो गई। मृत्युपूर्व दिये गये बयान के अनुसार संजय खोब्रागडे ने बताया कि, उसे बुध्द विहार से संबंधित विवाद के कारण जलाया गया था। उसने आरोपियों के नाम भी बताये वह इस प्रकार है-माधुरी टेंभरे-सरपंच, सरपंच का पति ऋषिलाल टेंभरे, भाजपा तहसिल पदाधिकारी प्रकाश रहंगडाले, भाऊलाल हरिणखेडे, पुनाजी ठाकरे और हेमंत ठाकरे। इन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और न्यायालय ने जमानत पर छोड दिया। इस प्रकरण में महत्वपुर्ण बात यह भी है कि जातियवादी अपराधीयों को बचाने के लिए पुलिस ने मृतक संजय खोब्रागडे की पत्नी देविकाबाई को तथा राजु गडपायले को गिरफ्तार किया। पुलिस को संदेह है कि मृतक की पत्नी और राजु गडपायले के नाजायज संबंध है। इसप्रकार महाराष्ट्र शासन और पुलिस दोनों जातिवादी है।

इसीप्रकार लातुर जिले के शिवणी गांव मे अनुसूचित जाति के दो दुल्हों को जातिवादीयों ने हनुमान मंदिर में पुजा करने के लिए मना किया और गालीगलौच की। शिवणी

निवासी विनायक पवार के लडके और लडकी की शादी 25 मई को थी। वह जब दुल्हे को लेकर हनुमान मंदिर जा रहा था तो गांव के सवर्णों ने उन्हें रोका और मंदिर के द्वार पर ताला लगा दिया। इस प्रकार महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लोगों को संविधान द्वारा दिये गये मुलभुत अधिकारों से वंचित किया जाता है। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के अलावा अनुसूचित जनजाति के साथ भी भयंकर बुरा व्यवहार किया जाता है। रायगढ जिले के टाकवे गांव में निवासी स्कुल के मालिक और मॅनेजर द्वारा 11 से 15 वर्ष की आयु के आदिवासी बच्चों के साथ बलात्कार किया जाता है और मना करने पर उन्हें कुत्ते की विष्ठा खिलाई जाती है। चन्द्रप्रभा चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा टाकवे गांव मे निवासी स्कुल चलाई जा रही है। आसपास के गांव वालों को, विशेषतः गरीब आदिवासीयों को अच्छी शिक्षा का प्रलोभन देकर स्कुल मे भर्ती करवाया जाता है। इस निवासी स्कुल में 4 से 15 वर्ष की आयु के 32 विद्यार्थी है। वह साल में 10 माह तक वहीं रह कर शिक्षा लेते है और 2 माह के लिए अपने घर जाते है। जब विद्यार्थी दो माह के लिए अपने घर गये थे तो उनमे से एक विद्यार्थी ने बडी हिम्मत जुटा कर अपनी मां को निवासी स्कुल मे उसके साथ क्या बुरा हुआ इसकी जानकारी दी। उस विद्यार्थी की मां ने रायगढ चाइल्ड हेल्पलाईन को सूचना देकर निवासी स्कुल में हो रहे अत्याचार का भंडाफोड किया।

चंद्रप्रभा चेरिटेबल ट्रस्ट के संचालक अजित दाभोलकर और व्यवस्थापक ललिता तोंडे 11 से 15 साल तक के बच्चों को आपस मे मैथुन करने के लिए कहते है, साथ ही इन दोनों के साथ भी मैथुन करने के लिए कहते है। इस दुराचार के फोटो भी निकाले गये है। इन दोनों अपराधीयों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अजित दाभोलकर के पुना स्थित मकान पर छापा मारकर पुलिस ने कुछ सीडी और महिलाओं के कपडे जप्त किये है। इस निवासी स्कुल में सन 2010 में एक महिला कर्मचारी की संशयास्पद मृत्यु हुई थी और एक 8 वर्षीय लडके की भी मृत्यु हुई थी।

पुलिस के अनुसार यह संस्था गैरकानुनी तौर पर चल रही थी। संस्था को सरकार की और से निवासी स्कुल चलाने की अनुमती नहीं दी गई थी। इस गैरकानुनी व्यवहार की स्थानिय प्रशासन और सरकार को जानकारी नहीं होगी ऐसा नहीं हो सकता परन्तु राजनैतिक संरक्षण और धन के बल पर यह अत्याचार का सिल-सिला चल रहा था। हो सकता है महाराष्ट्र में इस प्रकार के अड्डे और भी चल रहे होंगे।

सरकार के साथ-साथ इस देश का मिडिया भी अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के प्रति द्वेष करता है। इसलिए इतने भयानक अत्याचार हो रहे है परन्तु मिडिया के द्वारा उन्हें प्रसारित नहीं किया जाता।

महाराष्ट्र में डॉ. आंबेडकर द्वारा दिलाई गई सुविधा के कारण अनुसूचित जाति के बहुत से लोगों का शिक्षा तथा आर्थिक क्षेत्र में स्तर बढ गया। इन लोगों की जिम्मेदारी है कि समाज पर हो रहे अत्याचार के विरुध्द संघर्ष करे और समाज को संघर्ष करने के लिए प्रवृत्त करे। परन्तु दुख की बात है कि, यह लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे है। कुछ जागृत लोग समाज पर हो रहे अन्याय-अत्याचार के विरुध्द आवाज उठाते है परन्तु उन्हें लालच देकर उनकी आवाज दबा दी जाती है। कुछ लोग संघर्ष करते है परन्तु समाज के स्वार्थी नेता और अन्य लोग साथ नहीं देते जिसके कारण वह हताश और निराश हो जाते है और संघर्ष का रास्ता छोड देते है। इस स्थिति को अब बदलना होगा, समाज मे स्वाभीमान पैदा करना होगा और अन्याय-अत्याचार के विरोध लडना होगा। अन्यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आने वाले दिनों मे अमानविय यातनायें भोगनी पडेगी।

➤ महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नही मिलता

महाराष्ट्र मे जातिवाद बढ रहा है यह बात इससे सिध्द होता है कि अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार बढ रहे है। इस प्रदेश में उन्हें न्याय नहीं मिलता यह इस बात को सिध्द करता है कि यहां का शासन, प्रशासन और न्यायपालिका जातिवादी है। सन 2013 मे अनुसूचित जाति पर अत्याचार के 7019 मामले दर्ज हुये थे, उनमें से 793 मामलों में निर्णय हुआ है। इन 793 मामलों मे से 733 मामलों मे अपराधी निर्दोष छुट गये और केवल 60 मामलों में अपराधी दोषी पायें गये। यह तो इस बात को साबित करता है कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति के लोगों को न्याय नहीं मिलता। पंरतु ऐसा क्यों होता है, इस के पिछे की हकीकत जानना जरुरी है।

अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के बाद बहुत से मामलों मे पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखती। किसी कारणवश या दबाववश रिपोर्ट लिख ली तो अपराधीयों के विरुध्द कार्यवाही नहीं करती। अपराधी धनी होते है और पैसे के बल पर पुलिस को खरीदते है। पैसे के बल पर अपराधी नेताओं को खरिदता है और पुलिस पर दबाव डलवाता है। अपराधी

के जाति के नेता या उसके परिचित नेता के माध्यम से पुलिस पर दबाव डाला जाता है। यदि पुलिस जातिवादी है या दबाव के कारण वह मामला कमजोर बना देते है। पिडीत गरीब होता है और उसकी पहुंच नहीं होती इसलिए पुलिस को हाथ जोडने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पिडित के समाज के नेता भी उसकी कोई मदत नही करते। यदि पुलिस जातिवादी होती या नेताओं के दबाव मे होती है तो वह मामले की जांच ठीक से नही करती और मामले को कमजोर बनाती है। मामला न्यायालय मे दर्ज होने के बाद सरकारी वकील को अपराधी पैसे के बल पर या नेताओं के दबाव के कारण अपने पक्ष मे कर लेता है। सरकारी वकील यदि जातिवादी है तो अपराधी के लिए और भी आसानी होती है। पिडित गरिब होता है इसलिए मामुली वकील को अपना प्रकरण सौपता है क्योंकि नामी वकील की फी बहुत अधिक होती है। पिडित का वकील यदि इमानदार है तो ठीक है, परन्तु यदि वह बिकाऊ है तो उसे अपराधी खरिद लेता है और वह पिडित के पक्ष में ठीक से दलिल नही देता। अंत में न्यायाधिश की बारी आती है। यदि वह जातिवादी नही है तो निर्णय निष्पक्ष करेगा। आजकल कुछ न्यायाधिशों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे है। यदि वह उनमे से है तो पिडित को न्याय नही मिल सकता। कुछ न्यायाधिश शाासन की ईच्छा के अनुसार निर्णय देते है। यदि शासन जातिवादी है तो पिडित को न्याय नही मिल सकता। और यदि न्यायाधिश जातिवादी है तो भी पिडित को न्याय नही मिल सकता।

इस वास्तविकता को जानने के बाद इस नतिजे पर पहुंचा जा सकता है कि जबतक इस व्यवस्था में बदलाव नही आता तब तक पिडितों को न्याय नहीं मिल सकता। इस व्यवस्था के मूल मे हिन्दु धर्म है। इस धर्म से जबतक छुटकारा नही पाते तबतक न्याय नही मिल सकता और बुध्द धम्म जबतक अपनाते नहीं तब तक न्याय प्रस्थापित नहीं हो सकता।

➤ उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति की लडकियों पर सामुहिक बलात्कार और खुन

उत्तरप्रदेश के बदायूं जिले के कटरा गावं मे अनुसूचित जाति की दो लडकियों पर सामुहिक बलात्कार किया और उनका खुन कर उन्हें पेड़ पर लटका दिया। दोनों लडकियां चचेरी बहने थी। एक की उम्र 14 साल और दुसरी की 15 साल थी। इस घटना को मिडिया ने उछाला और राजनैतिक रंग दिया गया है। विरोधीयों ने अखिलेश यादव को जमकर कोसा। परन्तु नेता तो बेशर्म होते है और उनमें मानवता बिलकुल नही होती है। उनके लिए सब कुछ कुर्सी होती है। मिडिया को भी मानवता से कुछ लेना-देना नही, उसे तो अपने पुंजीपती आकाओं के इशारे पर काम करना है। पुंजीपतीयों को जो व्यवस्था और जो राजनीति फायदे की होती है उसके पक्ष में वह काम करता है। वह इस देश के गरिब और कमजोर वर्ग के हित में कभी भी काम नही करता। इसे कोई भी निष्पक्ष रुप से सोचने वाला व्यक्ति अनुभव कर सकता है। इसलिए भारत का मिडिया निष्पक्ष नही है।

मिडिया और नेता चंद दिनों तक बदायूं की घटना पर दुख पर व्यक्त करेगें परन्तु ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके निए कुछ भी नही करेंगे। उनके पास जातिवाद और दुराचार को समाप्त करने का कोई कार्यक्रम नही है, जो ऐसी घटनाओं की जड है। इसलिए इस घटना के दो दिन बाद ही आजमगढ जिले सरई मिर क्षेत्र में अनुसूचित जाति की 17 वर्षीय युवती पर 4 लोगों ने बलात्कार किया। लडकिने उन अपराधीयों की पहचान बताई परन्तु पुलिस उन्हें पकड नहीं सकी।

➤ भारत में मैला ढोना जारी है

आदमी या महिला द्वारा मैला ढोना बंद करने के लिए 1993 और 2013 में कानुन बनायें गये। इसके अलावा विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने इसे बंद करने के निर्णय दिये और राज्य सरकारों को निर्देश दिये। परन्तु भारत के लगभग सभी राज्यों में आदमी / महिला द्वारा सर पर मैला ढोने का काम जारी है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हालही में दिये गये आदेश में यह लिखा है कि भारत में लगभग 12 लाख मैला साफ करने वाले लोग है जो 96 लाख सुखे शौचालय साफ करने का काम करते है। इनमें 95 प्रतिशत दलित है। इसके अलावा रेल्वे लाईन पर मैला साफ करने वाले लाखों कर्मचारी या ठेके पर लिए गए लोग है। ड्रेन को साफ करते वक्त हर साल अनेक सफाई कर्मचारीयों की मौत भी होती है। पिछले तिन वर्षो में अकेले कर्नाटक में ड्रेन साफ करते वक्त 30 लोगों की मौत हो गई। परन्तु सरकारी कानुन और न्यायालय के आदेश के बाद भी यह काम जारी है।

मैला सफाई का काम करने वाले मुख्य रुप से वाल्मीकी समाज के लोग है। इस समाज के सामाजिक संगठन है तथा

सफाई कर्मचारीयों के भी संगठन है। इस समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुये यह प्रतित होता है कि सामाजिक जागृति नही हुई है। कोई भी जागृत व्यक्ती ऐसे घिनौने काम को नही करेगा। इस समाज के लोगों ने यदि तय कर लिया कि मैला सफाई या मैला ढोने का काम नहीं करेंगे तो उन्हें वह काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हिन्दु व्यवस्था के लोग चाहते है कि यह काम विशिष्ट समाज के लोग ही करे। इसलिए कानुन बनने के बाद भी उसपर अमल नी हो रहा है। जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला अधिक गुनहगार होता है। इसलिए जुल्म सहनेवाले समाज के कार्यकर्ताओं ने इसे समझना होगा और हिन्दु मानसिकता को त्याग कर समाज ने यह निर्णय लेना होगा कि हम आजसे ही मैला सफाई के काम को बंद कर देगें। ऐसा करने से ही सदियों से लगे हुये कलंक को मिटाया जा सकता है।

➤ भाजपा के पूर्व मंत्री द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों की जमिन हडप ली

कर्नाटक के पूर्व श्रमिक मंत्री बी. एन. बच्चेगौडा ने अनुसूचित जाति के लोगों को दी गई 200 एकड जमिन हडप ली। यह जमिन बंगलोर ग्रामीण जिले के होसकोट तहसिल के शांतपुरा गावं में है। एक कांग्रेसी नेता ने शिकायत की थी कि,बच्चेगौडा ने दलितों की जमिन फर्जी कागजातों के आधार पर हडप ली है। इस शिकायत के आधार पर बंगलोर ग्रामीण जिले के उपायुक्त वी. शंकर ने एक जांच समिति बनाई। जांच समिति की रिपार्ट मे निम्नलिखित बातों का उल्लेख है।

सन 1970 में राज्य सरकार ने 50 दलितों को, प्रत्येक को 4 एकड के अनुसार शांतीपुरा गावं में 200 एकड जमिन आबंटीत की थी। जांच के समय पुरा 200 एकड जमिन का पट्टा बच्चेगौडा के पास था। इस 200 एकड में से 36 एकड बच्चेगौडा के नाम से तथा बाकी जमिन उसके रिश्तेदारों के नाम से करवा ली गई थी। गौडा वोक्कालिंगा सवर्ण जाति के है और वह अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आते। इसलिए उस जमिन पर उनका अधिकार होना राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (कुछ भूमी हस्तांतरण निर्बंध) अधिनियम के अनुसार अवैध है। जिन 50 अनुसूचित जाति के लोगों को यह जमिन आबंटित की गई थी उनके नाम केवल कागज पर थे परन्तु उन्हें वास्तव में जमिन का कब्जा नही दिया गया था। इसी का लाभ लेकर गौडा ने तत्कालीन तहसिलदार दयानंद भंडारी और अन्य 11 लोगों की मदत से अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम से संबधीत भूमि के अवैध दस्तावेज बनाये थे।

उपरोक्त रिपोर्ट के तत्थों के आधार पर वह भूमि अबतक अनुसूचित जाति के सदस्यों को नहीं दी गई और अभी भी बच्चे गौडा के अधिकार में है। हमारे देश मे तत्थ और कानुन के आधार पर काम नहीं होता है। ''जिसकी लाठी उसकी भैस'' इस कहावत को सिध्द करने का सर्वाधिक सटीक उदाहरण यही है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इसप्रकार के अनेक उदाहरण मिलेगें। भारत मे गुंडाराज है और इन नेताओं से जनहीत, जनकल्याण या सुशासन की उम्मीद की जा सकती है। फिर भी इस देश का आम आदमी आशावान है और इन गुंडो के सरदारो को चुन कर देता है और अपने पांव पर कुल्हाडी मारता है।

➤ गुजरात में अस्पृश्यता की भयानक स्थिति

नवसर्जन नामक संस्थाने रार्बट ई. केनेडी सेंटर फॉर जस्टीस एण्ड हयुमन राईट्स के सहयोग से गुजरात में अस्पृश्यता पर सर्वेक्षण और अभ्यास किया। इस संस्था ने 2007 से 2010 तक गुजरात के 1589 गांवों के 5462 निवासीयों से बातचित की। इन संस्थाओं के शोधकर्ताओं ने भेदभाव के 98 तरिकों में से 8 क्षेत्र मे भेदभाव की सूचि बनाई- (1) पीने का पानी (2) खाने का भोजन (3) धर्म (4) स्पर्श (5) सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग (6) जाति आधारित व्यवसाय (7) बंधन और सामाजिक मान्यता (8) निजि क्षेत्र मे भेदभाव। इन शोधकर्ताओं ने सवर्णों द्वारा दलितों के साथ की जानेवाली अस्पृश्यता और दलितों के बिच उंची उपजाति द्वारा जिची उपजाति के साथ की जानेवाली अस्पृश्यता का अध्ययन किया। उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित तत्थ सामने आये।

(1) 98.4 प्रतिशत गांवों मे अंतर्जातिय विवाह करने की मनाई है। यदि किसी ने अंतर्जातिय विवाह किया तो उसे दंडीत किया जाता है, यहां तक की उसे गांव छोडना पडता है।

(2) 98.1 प्रतिशत गांवों में दलित को गैर दलितों का घर किराये पर नहीं दिया जाता। दलित को केवल दलितों का ही घर किराये पर लेना पडता है।

(3) 97. 6 प्रतिशत गांवों में यदि किसी दलित ने गैर दलित के पानी के बर्तन को स्पर्श किया तो वह अशुध्द हो जाता है।

(4) 98 प्रतिशत गांवो मे गैरदलितों द्वारा दलितों को चाय नही दी जाती। यदि कोई गैरदलित दलित को चाय देता है तो उसे अलग कप मे दी जाती है। उस कप को रामपात्र कहते है।

(5) 67 प्रतिशत गांवों मे दलित पंचायत सदस्यों को चाय नही दी जाती। यदि दी जाती है तो अलग कप मे।

(6) 56 प्रतिशत गांवों मे चाय की दुकान पर दलितों और गैरदलितों के लिए अलग-अलग कप होते है। यदि कोई दलित इन चाय की दुकानों पर चाय पिता है तो उसे अपना कप धोकर रखना पडता है।

(7) 96 प्रतिशत गांवों मे दलित और गैरदलित मजदुरों को अलग-अलग भोजन परोसा जाता है। यदि किसी दलित ने गैरदलित मजदुर के भोजन को स्पर्श किया तो उसे फेक दिया जाता है।

(8) 94 प्रतिशत गांवों मे सार्वजनिक भोजन के अवसर पर दलित और गैरदलित अलग-अलग स्थान पर बैठकर भोजन करते है। दलितों को अपने खाने के बर्तन लाने होते है या गैरदलितो के भोजन के बाद उन्हें भोजन दिया जाता है।

(9) 53 प्रतिशत गांवों मे स्कुलों मे मध्यान्ह भोजन के समय दलित और गैरदलित विद्यार्थी अलग-अलग बैठकर भोजन करते है। दलित विद्यार्थीयों को पानी पिने के लिए घर जाना पडता है।

(10) 45 प्रतिशत गांवो मे दलितों को दुकानों मे प्रवेश नहीं करने दिया जाता। उन्हें दुकान के बाहर ही सामान दिया जाता है।

(11) 97 प्रतिशत गांवों मे दलितों को धार्मिक पुजा के सामान को स्पर्श करने नहीं दिया जाता है।

(12) 96 प्रतिशत गांवो में गैरदलित दलितों के मोहल्ले में धार्मिक पुजा के नहीं आते।

(13) 90 प्रतिशत गांवो मे दलितो को सार्वजनिक मंदिरो में प्रवेश करने नहीं दिया जाता है।

(14) 92 प्रतिशत गांवो में पूजा का प्रसाद फेंक कर दिया जाता है।

(15) 96 प्रतिशत गावों मे दलितों को गैरदलितों के घर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है।

(16) 44 प्रतिशत गांवों मे यदि किसी दलित द्वारा नहाते वक्त या हाथ धोते वक्त पानी के छिंटे किसी गैरदलित पर पडते है तो वह अपवित्र या अशुध्द हुआ मानता है।

(17) 38 प्रतिशत गांवो मे किसी दलित का गैरदलित को गलती से भी स्पर्श हुआ तो वह अशुध्द हुआ मानता है।

(18) 87 प्रतिशत गांवो में दलितो को विवाह आदि समारोह के लिए बर्तन नही दिये जाते।

(19) 73 प्रतिशत गांवों मे नाई दलितो के बाल नही काटते।

(20) 61 प्रतिशत गांवों में कुम्हार दलितों को सामान नही देते।

(21) 33 प्रतिशत गांवो में टेलर दलितों के कपडे नही सिलते।

(22) 29 प्रतिशत गांवो में दलितों को सरकारी कुये या सरकारी नलों से पानी नही भरने दिया जाता।

(23) 71 प्रतिशत गांवो मे दलित वस्ती मे पिने के पानी के नल नहीं है।

(24) 10 प्रतिशत गांवों मे दलित डॉक़्टर के निजी दवाखाने मे नही जा सकते।

(25) लगभग सभी गावों मे दलितों को और गैरदलितों की स्मशानभुमि अलग-अलग होती है।

उपरोक्त स्थिति केवल गुजरात में ही नहीं परन्तु संपुर्ण भारत मे है।

गुजरात में दलितों की उपजातियों में भी अस्पृश्यता है।

(1) 99.1 प्रतिशत गावों मे दलितों की एक उपजाती का व्यक्ती दुसरी उपजाति के व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता।

(2) 95.8 प्रतिशत गांवों में दलितों के निचली उपजाती के लोगों को मरे हुये जानवर को उठाने के लिए बाध्य किया जाता है।

(3) 92.4 प्रतिशत गांवों मे कुछ उपजातियों के दलितों को सभी स्मशानभूमि में जाने की मनाही है।

(4) 78 प्रतिशत गांवों मे दलितों की निचली उपजाति के लोगों को उंची उपजाति के खेतो पर पानी नहीं दिया जाता।

(5) 80 प्रतिशत गांवो मे दलितो की उंची उपजाति और निचि उपजाति के लोग धार्मिक समारोह में अलग-अलग बैठते है।

संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार धर्म, मुलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधीत है।

अनुच्छेद 17 के अनुसार, अस्पृश्यता का अंत किया

गया है और उसका किसी भी रुप से आचरण निषिध्द किया गया है। यदि कोई अस्पृश्यता का आचरण करता है तो वह अपराध होगा और कानुन के अनुसार दंडनिय होगा।

उपरोक्त दोनों संवैधानिक प्रावधानों का खुलेआम उलंघन हो रहा है। उलंघन करने वालों में कुछ राजनेता भी शामिल है। हमारे देश मे भेडचाल है। जो परंपरा चलते आयी उसे आंख मुंद कर चलाना और उसके समर्थक बने रहना, चाहे वह हमारे अहित की ही क्यों न हो, यही इस देश के नागरिकों को धर्मांध बनाये रखते है ताकि वह मानसिक गुलाम बने रहे और अपने कल्याण की बात न सोच सके। राजनेता भी वैसे ही है, बल्कि आम जनता से वह अधिक चतुर है। वह संविधान की शपथ लेते है परन्तु काम ठीक उसके विपरित करते है। यदि वह संविधान के अनुसार काम करते तो यह स्थिति नही होती। उन्हें स्वकल्याण में रुची है, जनकल्याण में नही। वह यह दलिल दे सकते है कि दलितों ने शिकायत करनी चाहिए। परन्तु वास्तविकता यह कि गैरदलितों के दबाव के कारण दलित उनकी शिकायत नही कर सकते। दलित मजबुरीवश शोषण के शिकार बने हुये है। दलित नेता भी स्वार्थ सिध्दी मे लगे हुये है और संगठन का अभाव है। परिस्थितियां विपरित है परन्तु रास्ते निकल सकते है।

दलितों के साथ भेदभाव का मूल कारण जाति है। उसी प्रकार अस्पृश्यता का मूल कारण जाति ही है। तब जाति को समाप्त किये बगैर दलितों की समस्याओं का निराकरण नही हो सकता। बाबासाहेब भी जाति का निर्मुलन चाहते थे। इसलिए दलित समुदाय के जागृत लोगों का यह दायित्व है कि वह अपने दलित भाईयों को जागृत करे, उनमे उनकी स्थिति के प्रति चिड निर्माण करे, उन्हे संगठीत करे और जाति निर्मुलन का आंदोलन करे।

जाति निर्मुलन का आंदोलन समता का आंदोलन है। समता हमारे संविधान की आधारशीला है। समता बुध्द धम्म की शिक्षा है। इसलिए बुध्द धम्म बडे पैमाने पर प्रचारित और प्रसारित करना होगा। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर यह काम कठिन है परन्तु इस देश मे मानवता प्रस्थापित करने के लिए और न्याय पाने के लिए इसे करना ही होगा।

➤ कैसे हो सकती है मोदी की संवैधानिक, धार्मिक, आर्थिक और शिक्षा निति- एक अंदाज

मोदी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुये 2002 मे दंगा हुआ था। इसे भारत के इतिहास मे कभी-भी भुला नही जायेगा। इस दंगे के बाद क्या हुआ यह बहुत कम लोग जानते है और मिडिया ने भी उसकी दखल नही ली। पुलिस विभाग मे, जांच एजेंसीयों मे और कानुन यंत्रणा मे इस जबरदस्त तरिके से हेराफेरी की गई कि, कोई भी उच्च पदस्थ नेता अपराधीक मामलों मे फंस न सके। पुलिस ने एफ आई आर नही लिखे, डर दिखाकर एफ आई आर बदले गये, आर एस एस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को सरकारी वकील बनाया गया और निचली अदालतों मे दबाव लाया गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मोदी इसी तरिके को अपनायेंगे?

नवसर्जन संस्था द्वारा गुजरात में दलितों की बुरी स्थिति पायी गई। समता, स्वतंत्रता,बंधुत्व और न्याय पर आधारित संविधान की मोदी ने प्रधानमंत्री बनने पर शपथ ली। प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या मोदी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के मुल्यों को प्रस्थापित करेंगे या इनके विपरित काम करेंगे? क्या वह दलितों के हितों की रक्षा करेंगे या उनका अहित करेंगे?

बाबरी मस्जीद ढहाने के बाद, भुगर्भ विभाग के अधिकारीयों को हाथ मे लेकर, राममंदिर के अवशेष पर बाबरी मस्जीद बनी थी, इस प्रकार के झुठे प्रमाण इजाद किये गए थे। क्या उसीप्रकार हिन्दु धर्म के पक्ष मे झुठे प्रमाण इजाद किये जायेंगे?

बाजपेयी सरकार द्वारा इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरीकल रिसर्च और काउंसिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च नामक संस्थाओं का गठन कर उनके मुखियां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित विद्वानों को बनाया था। इसी प्रकार इंडियन इन्स्टीटयुट ऑफ एडवान्स्ड स्टडी, युनिवर्सिटी ग्रँटस् कमिशन, नेशनल कांउसील ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्टस् और नेहरु मेमोरीयल म्युजियम एण्ड लाइब्ररी के अधिकारी राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ से संबंधीत विद्वानों को बनाया गया था। प्रायमरी और माध्यमिक शिक्षा के पाठय पुस्तकों मे बदलाव किया गया था और रोमिला थापर, आर . एस. शर्मा और बिपीनचन्द्र जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकारों के लेख पाठय पुस्तकों से हटाये गये थे। सुमित सरकार और के .एन. पनिक्कर जैसे विद्वानों को परेशान किया गया था। इतना ही नही डी. एन. झा नामक इतिहासकार को जान से मारने की धमकीयां दी गई थी क्योंकि उन्होंने प्राचिन काल मे

लोग गाय का मांस खाते थे इसे सिध्द कर दिया था। यह तब हुआ था जब मुरली मनोहर जोशी केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री थे। अब स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाया गया जिसे भारत के इतिहास और शिक्षा संबंधी ज्ञान नही है। क्या, ऐसी स्थिति मे, उसे मोदी और राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ अपनी उंगलीयों पर नचायेगें ? और क्या आर एस एस को अपेक्षित शिक्षा और संस्कृति प्रस्थापित होगी?

आर एस एस के एजेंडे के अनुसार हिन्दु धर्म को बढाने के लिए लोगों को मानसिक गुलाम बनाने का काम चल रहा है। काल्पनिक और चमत्कारी बातों का सहारा लेकर, लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर, अफवाये फैलाकर, मिडिया को साथ लेकर, धन का उपयोग कर लोगों को हिन्दुत्व की ओर झुकाया जा रहा है। अल्पसंख्यक विरोधी, आंबेडकरवाद विरोधी, बुध्द धम्म के विरोधी काम किये जा रहे है। बुध्द धम्म मे मिलावट की जा रही है और इस मिलावट को प्रचारित कर अनेकों को मानसिक गुलाम बनाया गया है। क्या मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद इन बातों को बढावा मिलेगा?

इस लोकसभा चुनाव में पुंजीपतियों ने खुब धन लुटाया है। उन्हें उससे अधिक धन प्राप्त करने की अपेक्षा जरुर होगी। यूपीए सरकार द्वारा वन अधिकार अधिनियम, मनरेगा, उचित मुआवजा और जमिन अधिग्रहण, पुनर्वसन और वसाहत मे पारदर्शिता अधिनियम, राष्ट्रीय अनाज सुरक्षा अधिनियम जैसे अधिनियम बनाये जिससे पुंजीपतियोंको, खासकर उचित मुआवजा और जमिन अधिग्रहण, पुनर्वसन और वसाहत मे पारदर्शिता अधिनियम से शिकायत थी। इस अधिनियम के कारण वह मनमाना लाभ अर्जित नही कर पा रहे थे। क्या मोदी सरकार द्वारा ऐसे अधिनियम रद्द किये जायेंगे और पुंजीपतियों के लाभ के अधिनियम बनाये जायेंगे?

मोदी को आर एस एस और पुंजीपतियो के इशारे पर काम करना होगा तब हिन्दुत्व राष्ट्रवाद और आर्थिक राष्ट्रवाद के एजेंडे पर किस प्रकार काम होगा। इस पर देशवासीयों को नजर रखनी होगी और समझना होगा और उनका विरोध करना होगा। साथही भारत का मिडिया हिन्दु राष्ट्रवाद की दिशा मे तो काम कर ही रहा है वह आर्थिक राष्ट्रवाद की दिशा मे किस प्रकार काम करता है उसे भी समझना होगा। इसके साथ संविधान के प्रति मोदी और मिडिया की भूमिका को भी समझना होगा। अभी तो शुरुआत है और केवल अंदाज ही लगाया जा सकता है।

➤ विदेशों में भारत के काले धन की जानकारी तीन वर्ष बाद

मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने दुसरे ही दिन काले धन के लिए एस आई टी बनाई। यह कदम उसने स्वयंस्फुर्त होकर नही किया बल्की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुये किया। वास्तविकता यह है कि स्वित्झरलैड और अन्य देशों मे भारतीयोंने काला धन जमा किया है उसकी जानकारी भारत को अभी नही बल्की 3 वर्ष बाद मिलेगी। 2017 मे करो के संबंध मे जानकारी सभी देशों को दी जाने के लिए दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे तब भारत समेत 45 देशों को उसका लाभ मिलेगा। करों संबंधी जानकारी सभी देशों को अपने आप मिलती रहेगी और उसमे पारदर्शिता होगी। ऐसा होने से विदेशों मे काला धन जमा करने वालों का भंडाफोड होगा। इस संबंध मे पेरीस स्थित आर्गेनाइजेशन फॉर इकानामिक कोआपरेशन एण्ड डेवलपमेंट (ओईसीडी) नामक संस्था ने की है। उसके अनुसार कर संबंधी द्विपक्षीय करार से कुछ भी लाभ नही होगा। उसके बदले मे सभी देशों के लिए एक समान कानुन बनाकर सभी देश उसे समान रुपसे लागु करेंगे तभी सभी देशों को उसका लाभ मिलेगा। इस कानुन को अंतिम रुप देने के ओईसीडी के विशेषज्ञों की बैठक सितंबर माह मे होगी।

➤ लोकसभा चुनाव -2014, कुछ जानकारीयां

1) लोकसभा चुनाव मे 5572 उम्मीदवार थे

2) अपराधिक मामलों वाले उम्मीदवार-17 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरुध्द अपराधिक मामले दर्ज थे। 10 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरुध्द जघन्य अपराध, जैसे खून, बलात्कार, डकैति इत्यादि, के मामले दर्ज थे। भाजपा के उम्मीदवारों में 32 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरुध्द अपराधिक (criminal) मामले थे। कांग्रेस के उम्मिदवारों मे 28 प्रतिशत उम्मीदवारों के विरुध्द अपराधिक मामले दर्ज थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों मे 14 प्रतिशत उम्मिदवारों के विरुध्द अपराधिक मामले दर्ज थे।

3) करोडपती उम्मीदवार - लोकसभा उम्मीदवार की औसत संपत्ती 4.47 करोड थी। 5572 उम्मीदवारों मे से 26 प्रतिशत उम्मीदवार करोडपती थे। कांग्रेस के उम्मीदवारों मे 82 प्रतिशत करोडपती थे, बीजेपी के उम्मीदवारों मे 74

प्रतिशत करोडपती थे और आप के उम्मीदवारों मे 45 प्रतिशत करोडपती थे।

4) चुनाव आयोग ने 110 करोड की राशी और अन्य माल जप्त किया जो काला धन था और मतदाताओं को खरिदने के लिए था। जानकारों का मानना है कि यह केवल 10 प्रतिशत जप्ती थी। इस जप्ती मे नगदी, शराब और नशिले पदार्थ थे।

5) इस लोकसभा चुनाव मे सरकारी खजाने से 3426 करोड रुपये खर्च किये गये। 2009 के लोकसभा चुनाव मे 1483 करोड रुपये खर्च किये गये थे। इस प्रकार पिछली लोकसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव मे दो गुने से भी अधिक सरकारी खर्च हुआ है।

6) सर्वाधिक 29,53,915 मतदाताओं का मतदार संघ मलकाजगीरी (आंध्रप्रदेश) और सबसे कम 47,972 मतदाताओं का मतदार संघ लक्षद्वीप था।

7) इस लोकसभा चुनाव मे सर्वाधिक भद्दे व्यक्तिगत आरोप लगाये गये।

8) चुनाव प्रचार मे लगभग 30,500 करोड रुपये खर्च किये गये।

9) भाजपा ने केवल विज्ञापन पर लगभग 5,000 करोड रुपया खर्च किया जो बराक ओबामा द्वारा सन 2012 मे किये गये खर्च 6,000 करोड रुपये से थोडा कम था।

10) भारत के प्रचार माध्यमों ने मोदी के पक्ष मे प्रचार किया।

11) देश मे कुल मतदाताओं की संख्या 81 करोड 45 लाख 11 हजार 184 थी जिनमे 52.4 प्रतिशत पुरुष और 47.6 महिला थी। सन 2004 मे मतदाताओं की संख्या 67 करोड 14 लाख 87 हजार 930 थी। इस प्रकार पिछले दस वर्षो मे 21 प्रतिशत मतदाता बढ गये।

12) लगभग 50 सिटों पर राजनेताओं के पुत्र तथा पुत्रीयों ने चुनाव लढे। कुछ महत्वपुर्ण नामे इस प्रकार है।

सोनिया गांधी के पुत्र	राहुल
प्रणव मुखर्जी के पुत्र	अभिजीत
मेनका गांधी के पुत्र	वरुण
चिदंबरम के पुत्र	कार्ती
माधवराव सिंधिया के पुत्र	ज्योतीरादित्य
राजेश पायलट के पुत्र	सचिन
जितेन्द्र प्रसाद के पुत्र	जतीन
यशवंत सिन्हा के पुत्र	जयंत
मुरली देवरा के पुत्र	मिलिंद
शीला दिक्षित के पुत्र	संदिप
प्रमोद महाजन की पुत्री	पुनम
तरुण गोगोई के पुत्र	गौरव
रमनसिंह के पुत्र	अभिषेक
वसुंधरा राजे के पुत्र	दुष्यंत
कल्याण सिंह के पुत्र	राजबीर
लालुप्रसाद यादव की पुत्री	मिसा
रामविलास पासवान के पुत्र	चिराग
शरद पवार की पुत्री	सुप्रिया
नारायण राणे के पुत्र	निलेश
अर्जुनसिंह के पुत्र	अजय
रशीद मसुद के पुत्र	इमरान
महेन्द्र कर्मा के पुत्र	दीपक

13) आम आदमी पार्टी ने नई पार्टी के रुप मे चुनाव लढा और कांग्रेस और भाजपा से टक्कर ली।

14) गुजरात मॉडल, विकास और सुशासन को भाजपा ने मुद्दा बनाया। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धीयां गिनाई।

15) दलित नेता भाजपा को शरण गये।

16) मतदाताओं का ध्रुविकरण करने के लिए भाजपा ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से हिन्दुत्व एजेंडा आगे बढाया।

17) भाजपा ने उत्तरप्रदेश से एक भी मुस्लीम को चुनाव नही लडाया जबकी उत्तरप्रदेश मे 18 प्रतिशत मुस्लीम जनसंख्या है।

18) हिन्दु विचारधारा के बहुसंख्य लोंगो का भाजपा के पक्ष मे धृविकरण हुआ। पिछले चुनाओं मे आडवानी की रथ यात्रा, बाबरी मस्जीद को ढहाना और हिन्दु-मुस्लीम मे दंगो के कारण हिन्दुओं को भाजपा के पक्ष मे आकृष्ट किया गया था। इस चुनाव मे विकास के मुद्दे को लेकर हिन्दुओं को भाजपा की ओर आकृष्ट किया गया। इस विकास के मुद्दे को समजना बहुत जरुरी है। विकास मध्यम वर्गीय लोगों की और पुंजीपतीयों की अधिक पसंद है जबकी गरिबों को उसके जीवन यापन की आवश्यक्ताओं की पुर्ती अधिक महत्वपुर्ण है। बहुसंख्यक मुसलमान और दलित गरिब है। वह इस मुद्दे की और आकृष्ट नही हुए। कुछ मुसलमान और थोडे दलित

आर्थिक रुप से सम्पन्न है वही विकास के मुद्दे की तरफ आकृष्ट हुए। इसी प्रकार बहुसंख्यक ओबीसी इस मुद्दे की ओर आकृष्ट हुये। इस प्रकार बहुसंख्यक ओबीसी, उच्चवर्णीय, थोडे से मुसलमान और थोडे से दलित, जो मध्यम वर्गीय है और बहुसंख्यक मुसलमान, बहुसंख्यक दलित, थोडेसे ओबीसी, जो गरिब है इनके बिच धृविकरण हुआ। भाजपा की रणनिति भी यही थी क्योंकि मध्यमवर्गीय हिन्दुत्व के पोषक है। इसलिए विकास के मुद्दे को लेकर उन्होंने सिधे हिन्दुत्व के मुद्दे को हासील किया। उन्होंने सिधे हिन्दुत्व की बात न करते हुये भी विकास की बात करके अपना मकसद पुरा किया।

19) भारत मे अधिकतर लोग उनकी भौतिक स्थिति को और अधिक सुधारने के पक्ष मे है। इस मानसिकता का लाभ लेते हुये मोदी को मसिहा के रुप मे पेश किया गया जो कठोर निर्णय लेने के लिए सक्षम है, सुशासन देने के लिए सक्षम और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने के लिए सक्षम है। मोदी की इस छवी को पेश करने से भविष्य मे मोदी सरकार से हमारी भौतिक स्थिति सुधरेगी यह झुठी आशा पल्लवित की गई।

20) विकास के गुजरात मॉडल की बार-बार चर्चा की गई। जबकी गुजरात मानव विकास के मामलों मे भारत अनेक राज्यों से पिछे है। विकास के गुजरात मॉडल के झुठ को प्रचारित कर झुठे सपनें बेचे गये।

21) गरिबों के प्रति उच्च और मध्यम वर्गीयों का द्वेष बढाने के लिए यह प्रचारित किया गया कि, गरिबों को सहायता के लिये बनाई गई राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना भ्रष्टाचार बढाने के लिए बनाई गई है और उस पर फालतु खर्च किया जा रहा है। उच्च और मध्य वर्ग के लोगों को यह बताने की कोशीश की गई कि उनका आर्थिक उत्पादन विकास नहीं होने के कारण रुक गया और विकास भ्रष्टाचार की वजह से नही हो पाया जिसका कारण गरिबों के लिए धन खर्च करना है।

22) यह चुनाव केवल सांप्रदायीकता को बढावा नही देता परन्तु इस देश मे जनकल्याण के लिए जो क्रांती की गई उसके विरुध्द प्रतिक्रांति को खुला आव्हान है।

➤ भाजपा वादे निभायेगी क्योंकि उसे आर. एस.एस. की विचारधारा प्रस्थापित करनी है

राजनेता वादे तो करते है परन्तु निभाते नही यह आम बात है। जब भी चुनाव आता है राजनैतिक पार्टीयां अपने-अपने चुनावी घोषणापत्रों के जरिए वादे करते है। चुनाव 2014 के पुर्व भाजपा ने भी वादे किए थे। केन्द्र में उनकी सरकार भी बन गई। अब देखना यह है कि उन्होंने किए गये वादे पुरे होते है या नही। वह अपने वादे पुरे करेंगे क्योकि वह आर एस एस की विचारधारा से अधिकतर संबंधीत है और यह विचारधारा उन्हें प्रस्थापित करनी है। पाठको की जानकारी के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र को निचे दे रहे है।

आर्थिक -

(1) बढती किमतों को काबु मे करने हेतु कदम : कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालत बनाना, किमत स्थिरता फंड बनाना, राष्ट्रीय खेती बाजार का निर्माण करना।

(2) मजदुर वृध्दी के कार्यक्रम, जैसे उत्पादन और पर्यटन, बढायेंगे।

(3) आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार को बढावा देंगे।

(4) विविध कुशलता को बढाने का कार्यक्रम बनायेंगे तथा नौकरीयां और उघमिता बढायेंगे।

(5) भ्रष्टाचार के संबंध मे लोगों को जागृत करेंगे।

(6) ई- गवर्ननन्स का तंत्रज्ञान बनायेंगे।

(7) करों को योग्य तथा सुगम बनायेंगे।

(8) कालाधन : काले धन के निर्माण को कम करेंगे, विदेशों मे पडे काले धन को देश मे लाने के लिए टास्क कोर्स बनायेंगे।

मजदुर -

(1) असंगठीत मजदुरों को पहचान पत्र जारी करेंगे और उनके लिए अच्छा स्वास्थ और शिक्षा की व्यवस्था करेंगे।

(2) मजदुरों को आधुनिक वित्तिय सेवाओं का लाभ देंगे।

(3) सभी प्रकार के मजदुरों के लिए पेंशन और स्वास्थ बिमा सुरक्षा बढायेंगे।

सामाजिक सुरक्षा -

(1) असाहाय बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग के प्रति संवेदनशील होंगे।

(2) शिक्षा का अधिकार और अनाज सुरक्षा पर पुरा अमल करेंगे।

(3) बाल मजदुर कानुन को मजबुत करेंगे, उसका पुनः अवलोकन करेंगे और बाल संरक्षण योजना बनायेंगे।

(4) वरिष्ट नागरिको के लिए वित्तिय सहायता देंगे

वृध्दाश्रम बनायेंगे वरिष्ठ नागरिको को विकास कार्य मे लगायेंगे,

(5) विकलांग व्यक्ती का अधिकार बिल पारित करेंगे।

(6) सार्वजनिक सुविधा, सार्वजनिक भवन और परिवहन हेतु विकलांगों के लिए झील्ली आधारित सुविधा करेंगे।

अल्पसंख्यक -

(1) अल्पसंख्यक शिक्षा योजना और संस्था को मजबुत करेंगे। राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम शुरु करेंगे।

(2) धार्मिक संस्थाओं से संपर्क कर वक्फ बोर्ड का सशक्तीकरण करेंगे। वक्फ संपत्ती पर हुये अतिक्रमण को हटायेंगे।

(3) उर्दु का संरक्षण करेंगे और उसे बढायेंगे।

(4) सौहार्द और विश्वास बढाने के लिए आपसी विश्वास की स्थायि यंत्रणा बनायेंगे।

विदेशनिति -

(1) विदेशों से समिकरण पांडीत्य पर आधारित और आपसी लाभ और मजबुत संबंधों के सिध्दान्त पर होंगे। (2) आंतकवाद और वैश्वीक उष्मा समान अंतर्राष्ट्रीय राय के पक्षधर होंगे।

(3) पडोसी देशों से मैत्रीपुर्ण संबंध रखेंगे।

(4) सार्क और एसीयन को मजबुत करने का काम करेंगे।

(5) पिडीत हिन्दु के लिए भारत स्वाभाविक घर होगा और यहां शरण लेने पर उसका स्वागत होगा।

(6) ब्रीक और जी-20 जैसे विश्व के मंच से बातचीत जारी रहेगी।

(7) जो एन आर आई व्यवसाई विदेशों मे बसे है उन्हें विश्व स्तर पर राष्ट्रीय हित को रखने वाले बडे जलाशय मानेंगे।

शासन और भ्रष्टाचार -

(1) प्रशासनिक सुधार को प्राथमिकता होगी।

(2) सरकारी रिकार्ड का कम्प्युटरीकरण होगा।

(3) कार्य का पुनर्निरिक्षण सभी सरकारी योजनाओं का सामाजिक और पर्यावरण के आधार पर आडीट होगा।

(4) निरुपयोगी कानुन, नियम और ढांचे को समाप्त करेंगे।

(5) कम शासन और अधिक शासकीय कार्य के साथ लोकाभिमुख सरकार होगी।

(6) ई-गवर्ननंस के लिए तंत्रज्ञान का उपयोग करेंगे। जन भागीदारी के लिए सोशल मिडिया के माध्यम से लोगों से जुडेंगे।

(7) प्रशासन और उसके सदस्यों को उनके कामकाज और लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जायेगा।

(8) न्यायाधिशों की नियुक्ती, रिक्तियों को भरना, नये न्यायालय बनाना और विभिन्न न्यायालयों मे लंबित प्रकरणों का जल्दी निपटारा करने की व्यवस्था करना आदि से संबंधित न्यायीक सुधार करना।

(9) उपर के न्यायालयों मे न्यायाधिशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाना।

(10) पुलिस फोर्स को प्रशिक्षण और उसका आधुनिकीकरण, जांच प्रक्रिया समाप्त, उसे तत्पर, पारदर्शी, निष्पक्ष, साफ और निर्णायक बनायेंगे।

(11) साईबर क्राईम से बचने के लिए पुलिस को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

(12) पुलिस की कार्य पध्दती मे सुधार और पुलिस कर्मीयों का कल्याण करेंगे।

सांस्कृतिक परंपरा और समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) -

(1) अयोध्या मे राम मंदिर बनाने के लिए संविधान मे दिये गये प्रावधानों के आधार पर सभी संभावनायें निकालना।

(2) गाय और उसके वंश को बढाने और रक्षा के लिए आवश्यक ढांचा बनाना।

(3) राष्ट्रीय पशु विकास बोर्ड का निर्माण करना जिससे पशुओं के समुदाय को बढाने के लिए मदत मिल सके।

(4) समान नागरिक संहीता (Uniform Civil Code) बनायेंगे। परंपराओं का आधुनिक समय के साथ मेल किया जायेगा।

खेती -

(1) खेती तथा ग्रामीण भाग मे जनता का निवेश बढाना

(2) उत्पादन खर्च का कम से कम 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा और खेती सामग्री सस्ती होगी और आर्थिक सहायता दी जायेगी।

(3) खेती के लिए आधुनिक तंत्रज्ञान का उपयोग होगा और अधिक उत्पादन वाले बिजों का उपयोग होगा और मनरेगा को खेती से जोडा जायेगा।

उद्योग -

(1) व्यवसाय करने के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना।

(2) प्रशासकीय बाधायें कम करना, प्रक्रिया सरल करना और बाधायें दूर करना।

(3) पर्यावरण क्लियरन्सेस पारदर्शी और समयबध्द हो इसलिए निर्णय लेना।

(4) विश्व स्तरीय निवेशकों को तैयार करना और औद्योगिक क्षेत्र को उत्पादन का विश्व स्तर का केन्द्र बनाना।

(5) बंद पडी हुई इकाईयों को पुनर्जिवित करना।

(6) उत्पादन बढाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(7) अनुसंधान और हार्डवेअर उत्पादन युनिट लगाने के लिए प्रोत्साहन देना।

(8) साफ्टवेअर और हार्डवेअर उत्पादन युनिट लगाने के लिए प्रोत्साहन देना।

(9) विश्व स्तर के पोर्ट बनाना, उन्हें रोड और रेल मार्ग से जोडना ताकि जहाजरानी व्यापार को बढावा मिले।

(10) सामान आवागमन के लिए विमान सेवा बढाना।

आंतरिक सुरक्षा -

(1) आंतकवाद विरोधी यंत्रणा बनाना, राष्ट्रीय जांच एजेंन्सी (NIA) को मजबुत करना।

(2) सभी क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा काऊंसील स्थापित करना जो इंटेलीजंस की सुचना देने के लिए उत्तरदायी होगी।

(3) इंटेलीजंस विभाग को आधुनिक बनाना ताकि अच्छी इंटलिजंस व्यवस्था बने।

(4) राज्य सरकारों को सभी प्रकार की मदत करना ताकि वह अपना पुलिस फोर्स आधुनिक तंत्रज्ञान से लेस बना सके।

ग्रामीण विकास -

(1) ग्रामीणों के व्यक्तिगत, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण पुनर्जिवन
कार्यक्रम लागु करेग।

(2) शहरी संसाधन गांवो मे लाये जायेंगे।

(3) ग्रामीण क्षेत्र मे रोड, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा बढाना।

पर्यावरण -

(1) सफाई उत्पादन बढाना।

(2) प्रोजेक्ट का पर्यावरण आडिट होगा। बडे शहरों तथा छोटे शहरों का वैज्ञानिक आधार पर प्रदुषण इंडेक्स बनेगा।

(3) प्रदुषण कन्ट्रोल यंत्रणा बनाने को प्राथमिकता दी जायेगी।

(4) पर्यावरण यांत्रिकी मे अनुसंधान और विकास और मानव संसाधन विकास को बढाया जायेगा।

(5) जंगली पशुओं के संवर्धन के लिए सुसज्जीत यंत्रणा बनाना।

(6) मौलिक संसाधनों का निलाम होगा।

(7) संसाधन का मापन, खुदाई और प्रबंधन तकनिकी आधार पर होगा।

सुरक्षा (Defence) -

(1) समर्पित सुरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित करना जिससे कर्मचारियों की कमी की पुर्ति की जा सके।

(2) अनुभवी लोगों का कमीशन बनाया जायेगा जो उनकी समस्याओं का निराकरण करेगा।

(3) आर्म फोर्सेस ट्रीबुनल मे सुधार लाना और सरकारी अपीलो को कम करना।

(4) सेना का अधिकारी अपनी सेवा के स्थान से मतदान कर सके इसे सुनिश्चित करना।

(5) सुरक्षा उत्पादन की अभियांत्रिक (Technology) के लेन देन को सर्वाधिक बढावा देना।

(6) सुरक्षा क्षेत्र की बढोत्तरी मे कमी की समस्या का निवारण करना।

(7) भारत के अणु सिध्दांत को बदलना और अपडेट करना ताकि वह वर्तमान चुनौतियों का सामना कर सके।

(8) भारत के थोरीयम अभियांत्रीकी कार्यक्रम मे निवेश करना।

इस घोषणापत्र का यदि सुक्ष्म अध्ययन करे तो यह ज्ञात होता है कि इसमें आर एस एस की विचारधारा को समाहीत किया गया है। महंगाई और भ्रष्टचार छोडकर आम आदमी की वर्तमान समस्या के निराकरण की कोई बात नही है। आम आदमी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मे सुधार लाने का कोई कार्यक्रम नही है। ऐसा प्रतित होता है कि भारत की जनता ने मोदी के सपने दिखाने वाले भाषण, मिडिया द्वारा किया गया प्रचार और कांग्रेस की नाकामी के

कारण भाजपा को मत दिया है।

➤ आरक्षण और प्राकृतिक संपदा को धोखा

मोदी सरकार बनने के बाद अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछडा वर्ग के आरक्षण को धोखा निर्माण हो गया है। सब जानते है कि, भाजपा ने उंची जातियों और पुंजी-पतियों की सहायता से चुनाव लडा और जिता। उंची जातियों की शुरु से आरक्षण समाप्त करने की मांग रही है। भाजपा की सरकार बनने से अब उनके हौसले बुलंद हो गये है। इसलिए सरकार बनने के तुरंत बाद संघ परिवार के लोगों ने और उंची जातियों के लोगों ने आरक्षण विरोधी चर्चा शुरु की है और छोटी-छोटी मिटींगे लेना शुरु कर दी है। इसके साथ ही ऑन लाईन पर आरक्षण विरोधी पिटीशन भी दी है जिसे WWW.change.org पर देखा जा सकता है।

मोदी सरकार गरिबों की अनाज और आवास की समस्या को हल करेंगे या नहीं यह अब कोई नहीं जानता परन्तु पुंजीपतियो को जल, जंगल और जमीन अवश्य देंगे। इसके अलावा बडे उद्योगों को जनता के हिस्से की बिजली देंगे क्योंकि इन उद्योगों के माध्यम से विकास करना है और पुंजी-पतियो की संपत्ती बढाना है, जो संघ परिवार और भाजपा के काम आ सके। प्राकृतिक संपदा पर इन पुंजीपतियों की नजर है, जिसका संबंध इस देश के करोडों लोगों के जीवन से है।

हर जागृत व्यक्ति ने आने वालो दिनों में होने वाले विध्वंस को समझना है और इस विध्वंस को रोकने के उपाय करने है।

➤ गुजरात में ब्राम्हणवादी ग्राम पंचायत

गुजरात में राजनैतिक पार्टीयों को पंचायत चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता। कुछ अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। परन्तु गुजरात में समरस ग्राम योजना है वह अन्य राज्यों में नही है। इस योजना के अंतर्गत उन ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक मदत दी जाती है, जहां चुनाव के बजाय पंचायत के सदस्य आपसी सहमती से बनाये जाते है। ऐसी पंचायतों को किसी परियोजना की स्विकृति तथा उसको अमल में लाने के लिए प्राथमिकता दी जाती है। समरस ग्राम योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों को समरस ग्राम कहा जाता है। इन गावों मे आर्य संस्कृति का जतन किया जाता है गांव में लोग इकठ्ठा होते है सब मिलकर ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को नियुक्त करते है। इससे साफ जाहिर होता है कि इन गांवों में ब्राम्हणवादी संस्कृति का जतन किया जाता है।

गुजरात में इन दिनों वंचित लोगों का अर्थात दलितों का कोई मजबुत संघटन नहीं है इसलिए परंपरागत ताकतवर लोगों के हाथ में यहां की सत्ता है। समरस योजना के अंतर्गत उन प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाता है जो वहां के प्रस्थापित लोगों को मंजुर हो इसलिए इन्हीं लोगों की ग्राम पंचायत होती है। अनुसूचित जाति एवं महिला प्रतिनिधी चुनने का समरस योजना में प्रावधान है। ऐसे प्रतिनिधी चुन भी लिए जाते है परन्तु यह प्रतिनिधी नाम मात्र के होते है और गांव के पंचायत के कारोबार वहां के प्रस्थापित पर उंची जाति के लोग ही चलाते है। अनुसूचित जाति के प्रतिनिधी और महिला प्रतिनिधी कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं उठा सकते जो गांव के प्रस्थापित लोगों के विरुध्द हो। इस प्रकार गुजरात में समरस योजना के तहत काम करने वाली ग्राम पंचायत उंची जाति के लोगों को अधिकार में है जहां जातिवाद बरकरार है। इन पंचायतों को गुजरात सरकार द्वारा मान्यता दी गई है और प्रोत्साहन भी दिया जाता है। इससे यह साफ है कि गुजरात सरकार जातिवादी है और जातिवाद को प्रोत्साहन देती है। वर्तमान में गुजरात की 13, 996 ग्राम पंचायतों में से 3, 915 समरस योजना के तहत काम कर रही है।

➤ गुजरात के विकास मॉडल से तामिलनाडु का विकास मॉडल बेहतर

गुजरात में औद्योगिक क्षेत्र में विकास शुरु से ही अधिक हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में वह बढ गया और दुसरे राज्यों से अधिक है। परन्तु वह किस अनुपात में बढा यह महत्तपुर्ण है। गुजरात और तामिलनाडु राज्य का उत्पादन और उद्योग के क्षेत्र में सकल घरेलु आय तुलना करे तो विकास का अनुपात गुजरात से तामिलनाडु का बेहतर है।

सकल घरेलु आय

उत्पादन	1991-2001	2001-12	अनुपात (बढोतरी)
गुजरात	9.2	10 .2	1
तामिनाडु	5.4	8.5	3.1
उद्योग	**1991-2001**	**2001-12**	**अनुपात (बढोतरी)**
गुजरात	8.6	9.9	1.3
तामिलनाडु	6.2	8.1	1.9

(स्त्रोत : EPW April 12, page 56)

उपरोक्त आंकडों से यह ज्ञात होता है कि, सन 1991-2001 से 2001-12 के बिच उत्पादन और उद्योग के क्षेत्र में तामिलनाडु की विकास दर गुजरात से बेहतर थी।

राज्य का आर्थिक विकास उस राज्य के नागरिकों के विकास में तब्दील होना चाहिए । राज्य के नागरिकों का आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र मे विकास ही सही विकास है। गुजरात और तामिलनाडु राज्य में समाज के विभिन्न वर्गों में गरिबी, गरिबी निर्मुलन साक्षरता, रोजगार और स्वास्थ्य सेवा के आंकडों पर नजर डाले तो सत्य का पता चलेगा।

1. शहरी क्षेत्र में गरिबी

वर्ग	1993-94 गुजरात/ तामिलनाडु	2004-05 गुजरात/ तामिलनाडु	2011-12 गुजरात/ तामिलनाडु
अनुसूचित जाति/जनजाति	44.0/54.0	22.5/40.5	19.3/9.00
ओ बी सी		36.5/17.3	15.5/ 6.4
सामान्य	25.3/30.0	14.4/6.5	5.1/1.8
हिन्दु	25.7/31.6	17.7/20.1	9.7/7.0
मुस्लीम	42.3/34.4	43.3-/9.1	14.6/ 3.7
अन्य अल्पसंख्यक	17.5/32.9	9.1/16.0	0.0/5.9
कुल	**28.2/33.8**	**20.1/19.7**	**10.2/6.6**

2. शहरी क्षेत्र में गरिबी निर्मुलन

वर्ग	1993-94 से 2004-05 गुजरात/ तामिलनाडु	2004-05 से 2011-12 गुजरात/ तामिलनाडु	1993-94 से 2011-12 गुजरात/ तामिलनाडु
अनुसूचित जाति/ जनजाति	2.0/1.2	0.5/4.5	1.4/2.5
ओ बी सी		3.0/1.6	
सामान्य	1.3/2.1	0.9/0.7	1.1/1.6
हिन्दु	0.7/1.2	1.1/1.9	0.9/1.5
मुस्लीम	0.4-1.5	4.0-2.2	1.8-1.8
अन्य अल्पसंख्यक	1.4-1.5	0.3-1.4	1.0-1.5
कुल	**0.7-1.3**	**1.4-1.9**	**1.0-1.5**

उपरोक्त शहरी क्षेत्र के गरिबी के आंकडो के नुसार गुजरात में 2011-12 में गरिबी 10. 2 प्रतिशत है और तामिलनाडु में 6.6 प्रतिशत है। इससे यह साबीत होता है कि गुजरात में गरिबी तामिलनाडु से अधिक है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में गरिबी निर्मुलन के आकडों से यह साबीत होता है कि तामिलनाडु में गुजरात की तुलना में गरिबी निर्मुलन अधिक हुआ है।

3. ग्रामिण क्षेत्र में गरिबी

वर्ग	1993-94 गुजरात तामिलनाडु	2004-05 गुजरात तामिलनाडु	2011-12 गुजरात तामिलनाडु
अनुसूचित जाति/ जनजाति	54.4/65.8	54.3/51.2	38.8/24.0
ओ बी सी		41.7/32.6	18.9/13.0
सामान्य	37.4/45.6	13.7/22.2	6.1/1.0
हिन्दु	43.4/57.3	39.9 / 38.0	22.7/ 16.2
मुस्लीम	36.4/37.3	31.0/18.0	7.7/1.6
अन्य अल्पसंख्यक	49.1/57.0	22.1/36.1	15.2/13.9
कुल	**43.3/51.2**	**39.1/37.5**	**21.5/15.8**

Mob. 9860906212
प्रज्ञा प्रिन्टर्स
सिंगल कलर
एवं मल्टिकलर में
पत्रिका, किताबें, कॅलेण्डर, पोस्टर्स,
पाम्पलेट एवं अन्य सामग्री की उत्कृष्ट छपाई
दुकान नं. 6, केशव कॉम्पलेक्स, 10 नं. पुल, नागपुर-17.

4. ग्रामीण क्षेत्र में गरिबी निर्मुलन

	1993-94 से 2004-05	2004-05 से 2011-12	1993-94 से 2011-12
वर्ग	**गुजरात/ तामिलनाडु**	**गुजरात/ तामिलनाडु**	**गुजरात/ तामिलनाडु**
अनुसूचित जाति/			
जनजाति	0.0/1.3	2.9/3.9	1.1/ 2.3
ओ बी सी		3.3/ 2.8	
सामान्य	2.2/2.1	1.1/3.0	1.7/2.5
हिन्दु	0.3/1.2	2.5/3.1	1.1/1.9
मुस्लीम	0.5/1.8	3.3/2.3	1.6/2.0
अन्य अल्पसंख्यक	3.4/1.9	1.0/3.6	2.4/2.4
कुल	**0.4/1.2**	**2.5/3.1**	**1.2/2.0**

उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्र के गरिबी के आंकडों के अनुसार सन 2011-12 मे गुजरात मे गरिबी 21.5 प्रतिशत है जबकी तामिलनाडु में 15.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में तामिलनाडु में गुजरात से बेहतर गरिबी निर्मुलन हुआ है।

5.साक्षरता

वर्ग / लिंग	1993-94 गुजरात /तामिलनाडु	2011-12 गुजरात /तामिलनाडु
अनुसूचित जाति/		
जनजाति	52.7/ 51.5	67.6/17.8
ओ बी सी		75.2/82.4
सामान्य	69.0/71.5	88.2/92.6
पुरुष	76.8/87.3	84.5/87.5
स्त्री	51.6/55.8	70.4/74.8
कुल	**64.6/67.0**	**77.9/81.1**

उपरोक्त आकडें यह बताते है कि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, ओ बी सी और सामान्य लोगों में साक्षरता का स्तर तामिलनाडु में गुजरात की अपेक्षा बहुत अच्छा है। इसी प्रकार पुरुष तथा स्त्री दोनों तामिलनाडु में गुजरात से अधिक साक्षर है।

6.शिक्षा के अनुसार कर्मचारी

1993-94

गुजरात					तामिलनाडु			
अनुसूचित जाति/ जनजाति	ओ बी सी	सामान्य	कुल	शिक्षा का स्तर	अनुसूचित जाति/ जनजाति	ओ बी सी	सामान्य	कुल
56.3	-	35.3	41.6	अशिक्षित	58.4	-	33.4	39.7
26.6	-	30.8	29.6	प्रायमरी तक	25.3	-	32.8	30.9
15.7	-	27.7	24.8	माध्यमिक और उच्च माध्यमिक	15	-	28.6	25.2
1.5	-	6.14	4.8	स्नातक और उच्च शिक्षित	1.6	-	5.1	4.2
100	**-**	**100**	**100**	**कुल**	**100**	**-**	**100**	**100**

2011-12

गुजरात					तामिलनाडु			
अनुसूचित जाति/ जनजाति	ओ बी सी	सामान्य	कुल	शिक्षा का स्तर	अनुसूचित जाति/ जनजाति	ओ बी सी	सामान्य	कुल
37.8	26.1	10	24.1	अशिक्षित	29.5	18.24	3.15	20.5
26.2	34.8	18.9	26.9	प्रायमरी तक	29.6	27.36	12.2	27.5
20.3	32.8	50.5	25.8	माध्यमिक और उच्च माध्यमिक	36.6	38.98	34.4	37.7
5.6	4.7	20.5	10.1	स्नातक और उच्च शिक्षित	7.3	15.43	50.3	14.3
100	100	100	100	**कुल**	100	100	100	100

उपरोक्त आंकडो से तामिलनाडु मे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और ओ बी सी के कर्मचारियों ने सन 2011 -12 तक गुजरात की तुलना में अपना शैक्षणिक स्तर अधिक बढाया। यदि उच्च शिक्षित कर्मचारियों का स्तर देखे तो वह सभी वर्गों मे तामिलनाडु का गुजरात से बहुत अच्छा है।

सन 2005-06 में बाल मृत्यु दर और पांच वर्षो से कम आयु के बच्चों कि मृत्यु दर और कुपोषण से बच्चों के मृत्यु का प्रतिशत तामिलनाडु में गुजरात की तुलना में बहुत कम है। इसी प्रकार बच्चों को टिका लगाने का प्रतिशत और मातृ सूश्रूषा का प्रतिशत तामिलनाडु में गुजरात की तुलना में बहुत अधिक है। इससे यह प्रतित होता है कि तामिलनाडु की

स्वास्थ्य सेवा गुजरात से बेहतर है।

उपरोक्त तथ्यों से यह निश्चित रुप से कहा जा सकता है कि तामिलनाडु मॉडल हो सकता है न की गुजरात। परन्तु मोदी और मिडिया ने इस देश के नागरिकों कों उल्लु बना दिया। क्या जस्टीस काटजु के अनुसार इस देश के अधिक तर नागरिक मुर्ख है?

7. गुजरात और तामिलनाडु मे विभिन्न जाति समुह के स्वास्थ्य संबंधी आकडे

बाल मृत्यु दर

	1992-93				2005-06			
राज्य	अनुसूचित जाति	जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	जनजाति	अन्य	कुल
गुजरात	70	92	70	74	65	86	47	63
तामिलनाडु	90	-	65	71	37	-	38	38

पाच वर्षो से कम आयु के बच्चो के मृत्यु दर

	अनुसूचित जाति	जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	जनजाति	अन्य	कुल
गुजरात	119	127	98	104	87	116	56	77
तामिलनाडु	127	-	85	95	48	-	45	45

कुपोषण से मरने वाले बच्चो का प्रतिशत

गुजरात	61	48	43	48	54.5	60.9	39.0	51.7
तामिलनाडु	53.0	-	47	49	39.7	-	28.2	31.1

बच्चो को टिका लगाने का प्रतिशत

गुजरात	-	36.0	52.0	50.0	51.2	39.5	48.6	45.2
तामिलनाडु	59.0	-	67.0	65.0	72.3	-	84.6	80.9

मातृ सूश्रूषा का प्रतिशत

गुजरात	85.0	69.0	77.0	75.0	85.3	73.9	95.3	87.4
तामिलनाडु	92.0	-	95.0	94.4	98.4	-	99.2	98.9

(स्त्रोत - EPW April 12, 2014 page 57, 58, 60, 62)

➤ हिन्दु समाचार पत्र के केंटीन में मांसाहारी भोजन करने की मनाही-जाति की राजनिति

10 अप्रैल 2014 को चेन्नई स्थित प्रसिध्द समाचार पत्र ' द हिन्दु ' की केंटींग में एक नोटीस लगाया गया था। उस नोटीस में यह लिखा था कि, कुछ कर्मचारीयों ने शिकायत की है कि, कुछ कर्मचारी मांसाहारी भोजन केंटीन में लाते है

और वहां सेवन करते है। इस नोटीस मे यह भी लिखा था, सभी जानते है कि हमारी केंटींन में मांसाहारी भोजन की मनाही है क्योंकि उससे अधिकांश कर्मचारीयों को तकलीफ होती है जो शाकाहारी है। इस नोटीस के कारण बडा हंगामा हुआ क्योंकि इस नोटीस के द्वारा यह संदेश दिया गया कि शाकाहारी लोंग मांसाहारी लोगों पर इस प्रकार का खाना न खाये यह बंधन लगाना चाहते थे। ब्राम्हणों के इशारे पर इस प्रकार का बंधन लगाया जा रहा था। यह जातिवाद के कारण किया गया। इसलिए इस नोटीस को लेकर हंगामा हुआ था।

'द हिन्दु' समाचार पत्र द्वारा अनेक बार जातिवाद की खबरों को छापी है और जातिवाद का विरोध किया है परन्तु जातिवाद ने ऐसे समाचार पत्र के प्रबंधकों को भी नही छोडा है।

➤ गंभीर बिमारी से पिडित गरिब और कमजोर वर्गों के लोगों का इलाज कराने की जिम्मेदारी राज्य की है

सिराजुद्दीन नामक रिक्षा चालक के चार बच्चे गौचर नामक बिमारी का इलाज नहीं होने के कारण मर गये। उसका पांचवा बच्चा मोहम्मद अहमद खान भी उसी बिमारी से ग्रस्त था। गौचर बिमारी से मरिज के अंग नियमित रुप से काम करना बंद करते है। इस बिमारी का इलाज लम्बे समय तक कराना होता है। इस बिमारी के इलाज के लिए 4.8 लाख रुपये प्रतिमाह खर्च आता है। सिराजुद्दीन को दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य सेवा से कुछ आर्थिक मदत मिली थी, परन्तु वह पर्याप्त नहीं थी। इसलिए एम्स के प्रबंधन ने मोहम्मद अहमद का इलाज करने से मना कर दिया था।

उसके बाद मोहम्मद अहमद के तरफ से दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई। इस याचिका पर सुनवाई के बाद दिनांक 17 अप्रैल को न्या.मनमोहन ने निर्णय दिया कि, राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह बच्चें का मुफ्त इलाज एम्स में कराये। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह गरिब और कमजोर वर्ग के लोग जो गंभीर बिमारी से पिडित है, उनका इलाज सुनिश्चित करे। न्यायालय ने यह कहा कि स्वास्थ्य का अधिकार और स्वास्थ्य सेवा संविधान द्वारा प्रदत्त अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के तहत है।इसलिए उसे अच्छा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सेवा मिले।

लोक स्वास्थ्य अधिकार का अधिनियम बनाने की आवश्यकता महसुस करते हुये न्यायालय ने कहा कि, गंभीर बिमारी का इलाज कराने के लिए लोक स्वास्थ्य अधिकार की आवश्यकता है परन्तु संविधान द्वारा जो अधिकार दिये गये उनके दायरे में रहते हुये वह संसद को इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

अब केन्द्र में मोदी की सरकार है। देखना यह है कि वह नागरिकों के स्वास्थ्य के संबंध में कितनी संवेदनशील है और क्या वह लोक स्वास्थ अधिकार का अधिनियम बनाती है।

➤ माईनिंग के कारण छत्तिसगढ के दंतेवाडा क्षेत्र के आदिवासीयों का स्वास्थ्य खतरे में

भारत के पुरे कोयला और लोह अयस्क का पांचवा भाग अकेले छत्तिसगढ में है। दंतेवाडा की बेलाडीला पहाडी में पाया जाने वाला लोह अयस्क का भंडार होना बताया जाता है। सन 1960 से राष्ट्रीय खनिज विकास कार्पोरेशन (NMDC) द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 60,000 टन लोह अयस्क निकाला गया।

दंतेवाडा क्षेत्र के किरंदुल और बचेली गांव के पास लोह अयस्क की खदानें है। इन खदानों के कारण उस क्षेत्र के पानी के स्त्रोतों से गंदा पानी आता है। इस पानी का रंग लाल हो रहा है और वह पानी पिने से इस इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी बिमार हो रहे है। वह पानी पिने योग्य नहीं होने कारण उसे पिने से कुछ आदिवासी बच्चे और जानवरों की मौत हो गई है। इस क्षेत्र के आदिवासीयों की मांग यह है कि उनके लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाय अन्यथा वह खदानों का कार्य बंद करवा देंगे।

उल्लेखनिय यह है कि इस क्षेत्र के आदिवासीयों को खदानों में नौकरी देने का वादा करने के बावजुद उन्हें नौकरीयां नहीं दी गई। यह भी उल्लेखनिय है कि यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है।

➤ निजी क्षेत्र में आरक्षण का पुंजीपतीयों द्वारा विरोध

कांग्रेस के चुनावी घोषणापत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा की थी। इस घोषणा से उद्योग जगत मे प्रतिस्पर्धा पर बुरा असर होगा इस प्रकार का मत कान्फेडरेशन ऑफ इन्डीयन इन्डस्ट्रीज व्यक्त किया है।

कान्फेडरेशन ऑफ इंडियन इन्डस्ट्रीज के क्रीस गोपानकृष्णन ने उपरोक्त मत व्यक्त करने के बाद कांग्रेस के

नेताओं के साथ इस विषय पर चर्चा करने की बात कही। हीरो मोटोकार्प के सुनिलकांत मुंजाल ने कहा कि, उद्योग जगत ने हमेशा सरकार की सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया है परन्तु निजी क्षेत्र में आरक्षण को उसका विरोध है। इसका अर्थ यही है कि, उद्योग जगत निजी क्षेत्र मे आरक्षण को नकारात्मक मानता है। जिस प्रकार शासकीय क्षेत्र में आरक्षण के कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने योगदान दिया उसे उद्योगपती नकारात्मक मानते है। वह नहीं चाहते की अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग निजी क्षेत्र में आये। यह उनके मन में बसा हुआ जातिभेद है। उद्योग जगत में प्रतिस्पर्धा पर विपरित असर होगा यह कहकर उद्योगपती अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को नौकरी में आने का मौका देने के पुर्व ही उन्हें काबील नहीं समझा जा रहा है। सरकारी नौकरीयों में मौका मिलने से इन वर्गों के लोगों ने अपनी काबीलियत सिध्द की है और अनेक बार तो उन्होंने तथाकथीत सवर्णों से अच्छे परिणाम दिये है। इससे यह सिध्द होता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का विरोध करने के पिछे उद्योगपतीयों की जातिवादी मानसिकता है।

कांग्रेस का इतिहास है कि उसने हमेशा आश्वासन दिये परन्तु काम ही नहीं किये। चुनावी घोषणा के पुर्व कांग्रेस के शासन काल में निजी क्षेत्र में आरक्षण का मुद्दा अनेक बार उठा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग ने भी उद्योगपतीयों से बातचीत कर निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का आश्वासन दिया, परन्तु किया कुछ भी नही। यदि कांग्रेस शासन की नियत साफ होती तो निजी क्षेत्र में आरक्षण चुनाव के बहुत पहले लागु हो जाता। चुनावी घोषणापत्र में निजी क्षेत्र में आरक्षण की घोषणा कर कांग्रेस ने वोट पाने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुर्ख बनाने का प्रयास किया, यही उनके इतिहास के आधार पर सिध्द होता है।

➤ भारत में क्षय रोगीयों की बढोतरी

अंतर्राष्ट्रीय क्षयरोग दिन के अवसर पर अंतराष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने यह जानकारी दी है कि, भारत में क्षयरोगीयों की संख्या बढ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि, संसार की एक तिहाई जनसंख्या क्षयरोग से पिडित है। इस संगठन की वर्ष 2013 की रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य सामने आये है।

(1) संसार में रोज 3800 लोगों की मृत्यु क्षयरोग से होती है।

(2) हर साल 90 लाख क्षयरोग पिडितों की पहचान होती है परन्तु उनमे से 30 लाख अपनी विपरित परिस्थिति के कारण इलाज नहीं करा पाते।

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने यह उद्देश्य निर्धारित किया है कि, एक वर्ष में भीतर ऐसे इलाज कराने से वंचित लोगों तक पहुंचना है।

(4) क्षयरोग से मृत्यु होने वाले 95 प्रतिशत लोग गरिब और कम उत्पादन वाले देशों से है।

जहां तक भारत का प्रश्न है इस देश की उद्योगपती समर्थक नीति भारत में क्षयरोगी बढाने के लिए जिम्मेदार रही है। जो उद्योग आदमी के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और पर्यावरण की दृष्टी से हानीकारक है ऐसे उद्योगों को बंद करने की बजाय उद्योग पतियों को लाभ देने के लिए चालु रखे है। इस देश में सारी सुविधायें संपन्न और ताकतवर लोगों को दी जाती रही है और गरिबों की हालत की किसीने भी सुध नहीं ली। सुविधाओं की कमी और गरिबी के कारण भारत मे लोग क्षयरोग के शिकार होते है और इलाज नहीं करवा पाते है। भारत में क्षयरोगी बढने का कारण सरकार की नितियां रही है। अब तो भारत मे पूंजीपतियों की सरकार आयी है। भारत में कितने क्षयरोगी भविष्य में बढते है यह तो आनेवाला वक्त ही बतायेगा।

➤ मोदी का विजयी होना भारत के लिए घातक

चुनाव के दौरान जब भारत का मिडिया मोदी के पक्ष मे प्रचार कर रहा था और उसे प्रधानमंत्री पद के लिए दुसरे नेताओं से आगे बता रहा था। तब अमेरिका और इंग्लैड में रहनेवाले भारत के मुलनिवासी विद्वान और कलाकारोंने यह मत व्यक्त किया कि, मोदी का विजयी होना भारत के लिए घातक है। इस मत का खुला पत्र उन्होंने सुप्रसिध्द समाचार पत्र ' द गार्डीयन ' को भेजा था।

उन विद्वानों और कलाकारों के अनुसार, मोदी कट्टरवादी है परन्तु चुनाव जीतने के लिए उसने अपनी प्रतिमा सौम्य बनाई है। आजतक भारत की पहचान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रुप में है। परन्तु मोदी के सपनों का भारत हिन्दुत्ववादी राष्ट्र है जिसके घातक परिणाम होंगे इसकी

चिंता है।

अब तो मोदी चुनकर भी आ गये और भारत के प्रधानमंत्री भी बन गये। ऐसे मे न्यायमुर्ति मार्कण्डेय काटजू का वह वाक्य बार-बार याद आता है कि भारत में 90 प्रतिशत मुर्ख है। मुर्ख लोग अधिक विचार नहीं करते। वह दिखावे में बह जाते है। दिखाावा चाहे सत्ता के लिए हो, स्वार्थ के लिए हो, पद के लिए हो, प्रसिध्दी के लिए हो या पैसे के लिए हो उसके परिणामों के बारे में विचार किये बिना उसके समर्थक बनना मुर्खता की पहचान है। यदि भारतीय अपना कल्याण चाहते है, अपना हीत चाहते है तो उन्होने मुर्खता त्यागकर बुध्दीवादी बनना होगा, सत्य को खोजना होगा और मित्थ्या धारणाओं का समुल नाश करना होगा। यही बुध्द का हेतुवाद है।

➤ रामदेव का असली चेहरा

लोकसभा चुनाव मे अल्वर क्षेत्र से महन्त चान्दनाथ भाजपा की ओर से चुनाव लढ रहे थे। एक प्रेस कान्फरन्स मे रामदेव उनके साथ थे। कान्फरन्स प्रारंभ होने के पुर्व माईक के सामने चांदनाथ ने रामदेव के सामने अपनी समस्या रखी कि, उसे पैसा लाने की समस्या है। तब रामदेव ने उससे कहा कि जब माईक चालु हो तो पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने चांदनाथ को डाटते हुये कहां कि, अब बोलना बंद करो, तुम मुर्ख हो।

उपरोक्त घटना जब टीवी पर प्रचारित हुई तब रामदेव का असली चेहरा सामने आया। जब धन लाने की बात होती तो रामदेव चांदनाथ को हिदायत नही देते और डांटते नही क्योंकि चुनाव आयोग ने तय सिमा तक चुनाव खर्च करने का अधिकार दिया है। तब यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चांदनाथ चुनाव खर्च के लिए काले धन को लाने की बात कर रहे होंगे और माईक चालु होने के कारण सबको मालुम न हो इसलिए रामदेव नाराज हुये। अन्यथा उन्हे नाराज होने का कोई कारण नही बनता।

भारत मे यह आम बात हुई है कि चुनाव मे बडे पैमाने पर काले धन का उपयोग किया जाता है। वह नहीं चाहते थे कि उनके समर्थन वाले उम्मीदवार द्वारा चुनाव मे काले धन के खर्च की बात सार्वजनिक हो जिससे उनके कालधन विरोधी ढोंग का भंडाफोड हो। इसलिए उन्होंने अपने चहेते उम्मिदवार को डांट दिया। वैसे, प्रसार माध्यमों ने तो भंडाफोड कर ही दिया।

➤ गुजरात दंगे से संबंधीत रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग से गायब

2002 में गुजरात मे हुए दंगे से संबंधीत रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग से गायब हुई है। यह रिपोर्ट आयोग की तत्कालीन सचिव सरिता दास ने बनाई थी। दंगों के बाद सरिता दास आयोग के सदस्यों के साथ गुजरात गई थी। उन्होंने उस रिपोर्ट मे गुजरात में राष्ट्रपती शासन लगाने की सिफारिश की थी। इस रिपोर्ट मे गुजरात का प्रशासन किस तरह पुरा चरमरा गया था उसके तत्थ थे। परन्तु पिछले अगस्त माह मे जब दंगों की जांच कर रही समितिने सरिता दास से मुलाकाल की तब सरिता दासने यह पाया उनकी वह रिपोर्ट अल्पसंख्यक आयोग के रिकार्ड में नही है।

गुजरात दंगो के बाद कई गैरसरकारी और सरकारी संगठनों ने गुजरात दंगो से संबंधीत जानकारी ली। दंगों के बाद किस तरह दोषीयों को बचाया गया इस संबंधी मे भी जानकारी ली। पिछले वर्ष तहलका ने इस दंगे संबंध और दंगों के बाद की जानकारी छापी थी। इस जानकारी के आधार पर यह स्पष्ट हो गया था और दोषीयों के विरुध्द सबुत नष्ट कर दिये गये थे। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गठीत एस आई टी को भी सभी दोषीयों के विरुध्द सबुत नहीं मिले। जांच के दौरान जो सबुत मिले, और बयान रिकार्ड किये गये उनके आधार पर एस आई टी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वह भी दोषीयों को सजा दिलवाने मे कारगर सिध्द नहीं हुई। कुल मिलकर, दंगो के बाद जो भी कोशीशें की गई उससे न्याय नही मिला। जांच आयोग हो या एस आई टी हो, इनकी रिपोर्ट के आधार पर शायद ही किसी को सजा मिली होगी। न्याय के लिए देरी होती है, अपराधीयों को सबुत मिटाने का मौका मिलता है और अपराधी यदि ताकतवर है तो वह जांचकर्ताओं को भी अपने पक्ष में कर लेता है, यह सब होता है। न्यायालय में तथ्य और सबुत आवश्यक है और इन्हें ही नष्ट कर दिया जाय तो न्याय नहीं मिल सकता। अल्पसंख्यक आयोग से रिपोर्ट गायब हो जाना इसी साजीश का एक अंग है।

मैं संपूर्ण भारत बौद्धमय करूंगा !

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

न्यायपालिका

➤ अब उच्च पदस्थ अधिकारीयों की जांच के लिए सी.बी.आई.को अनुमति नही लेनी होगी

सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि सी.बी.आई . को उच्च पदस्थ अधिकारीयों की जांच करने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यक्ता नही है। न्यायालय ने यह कहा कि, भ्रष्टाचारी लोक सेवक, बडा हो या छोटा, एक समान है और उनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लीशमेंट एक्ट की धारा 6A को न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इस धारा के अनुसार, जॉइट सेक्रेटरी और उसके उपर के अधिकारी के विरुध्द जांच करने के लिए सी.बी.आई को सरकार से पुर्व अनुमती लेने का प्रावधान था। न्यायालय ने कहा कि इस धारा के प्रावधान से भ्रष्ट अधिकारीयों को संरक्षण मिलता है और निष्पक्ष जांच एजेन्सी को बडी दिक्कते आती है।

अपने निर्णय मे न्यायालय ने कहां, '' क्या भ्रष्ट अधिकारीयों मे पद के आधार पर भेद होना चाहिये? बिलकुल नही, क्योकि भ्रष्ट लोक सेवक किसी भी पद पर हो वह भ्रष्ट है। भ्रष्ट लोक सेवक छोटे या बडे किसी पद पर हो उसे समान पंख है और उनकी समान जांच होनी चाहिये। जिनके विरुध्द आरोप है ऐसे लोक सेवकों के बिच उसके पद के आधार पर भेद नही करना होगा।''

मुख्य न्या.आर .एम.लोढा, न्या.ए.के .पटनाईक, न्या. एस. जे. मुखोपाध्याय, न्या. दिपक मिश्रा और न्या. एफ़ .एम. आई. कलीफुल्ला की संसदीय खंडपिठ ने कहां कि, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लीसमेंट एक्ट की धारा 6A के आधार पर सरकारी नौकरी मे उसके पद के कारण भेद करना संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुमती नही दी जा सकती क्योंकि अनुच्छेद 14 के अनुसार हर नागरिक को कानुन के सामने समता का मुलभुत अधिकार है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं को लागु नहीं होगा परन्तु अन्य प्रायवेट शिक्षा संस्थाओं को लागु होगा

मुस्लीम माइनारिटी स्कुल्स मॅनेजर्स असोसियशन द्वारा दाखिल की गई याचिका को सर्वोच्च न्यायालय ने स्विकार करते हुये यह निर्णय दिया कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समाज के आर्थिक रुपसे कमजोर लोगों के लिए 25 प्रतिशत सिटों का आरक्षण अल्पसंख्यकों की शिक्षा संस्थाओं को लागु नही होगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस प्रकार का प्रावधान अल्पसंख्यको कों संविधान द्वारा दिये गये मुलभुत अधिकारों का हनन करता है।

मुख्य न्यायाधिश आ.एम.लोढा द्वारा अध्यक्षता में पांच सदस्यीय खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के तिन सदस्यीय खंडपिठ के निर्णय को खारिज करते हुये यह निर्णय दिया। तिन सदस्यीय खंडपीठ ने यह निर्णय दिया था कि, सुचना का अधिकार अधिनियम सरकारी अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को लागु होंगा इस निर्णय को खारिज किया गया।

न्यायालय ने यह माना है कि संविधान का अनुच्छेद 21A, जो शिक्षा का अधिकार देता है और अनुच्छेद 15(5) जो आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों से संबंधित है, दोनों संवैधानिक दृष्टी से योग्य है क्योंकि उनसे संविधान के मुल ढांचे मे परिवर्तन नही होता।

न्यायालय ने कहा है कि, संविधान के अनुच्छेद 15(5) के अनुसार, राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक आर्थिक रुपसे पिछडे नागरिकों के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए विधि के अनुसार विशेष प्रावधान कर सकते है। ऐसे विशेष प्रावधान इन वर्गो के निजी शिक्षा संस्थाओ मे, जो अनुदानीत हो या न हो, प्रवेश से संबंधीत होते है। शिक्षा संस्थाओं मे प्रवेश से संबंधीत नही हो सकते।

संविधान के अनुच्छेद 30 (1) के द्वारा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थायें चलाने का विशेष अधिकार दिया है परन्तु गैर अल्पसंख्यकों को यह सुविधा नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यकों के विद्यालय छोडकर अन्य निजी संस्थाओं के विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम के परिधी मे आते है चाहे वह अनुदानित हो या गैर अनुदानीत हो।

समिति द्वारा सम्पन्न कार्यक्रम

➤ बुद्ध जयंती कार्यक्रम

दिनांक 14 मई 2014 को धम्मगिरी, काजलवाणी पर बुद्ध जयंती समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में उपस्थित समुदाय को आयु. दादाराव वानखेडे, आयु. पी.एन. भिवगडे और मुख्य वक्ता डॉ. कृष्णकांत डोंगरे द्वारा संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्याक्षता डॉ. यादवराव ठवर ने की। वक्ताओंने बुद्ध धम्म की शिक्षा तथा बुद्ध धम्म प्रचार समिति द्वारा किस प्रकार धम्म प्रचार करना चाहिये इस पर मार्गदर्शन किया।

➤ प्रशिक्षण शिविर

1. पांच दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, रामटेक -

दिनांक 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक नागार्जुन महाविहार, रामटेक, जि. नागपुर में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में आयु. हृदेश सोमकुवर ने 'आंबेडकरी आन्दोलन', आयु. राजु कदम ने 'बुद्ध और उनका धम्म', आयु. निलिमा चौहान ने 'बाईस प्रतिज्ञा' और आयु. भिमराव वैद्य ने 'कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी' इन विषयों पर प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी और सामुहीक चर्चा की गई। प्रशिक्षण में महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, छत्तिसगढ़ और गुजरात के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। सभी कार्यकर्ताओं नक अपनी फीड बैक रिपोर्ट में बताया कि इस प्रशिक्षण से उनके ज्ञान में वृद्धी हुई है।

2. तिन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, उदयपुर -

राजस्थान के उदयपुर में डॉ. कुसूम मेघवाल के मुलनिवासी महल में दिनांक 17 से 19 मई तक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आयु. हृदेश सोमकुवर, राजु कदम तथा केशव सोमकुवर ने आंबेडकरी आन्दोलन, बुद्ध और उनका धम्म और बाईस प्रतिज्ञा पर प्रशिक्षण दिया। इस शिविर में राजस्थान, दिल्ली और मध्यप्रदेश के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शिविर में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने यह बताया कि उन्हें पहली बार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर को अपेक्षित बुद्ध धम्म की जानकारी हुई और अब वह बाबासाहेब द्वारा बताये नुसार बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करेंगे। इस शिविर की पूरी व्यवस्था डॉ. कुसूम मेघवाल ने की।

प्रशिक्षण के पश्चात भविष्य में आंबेडकरी आन्दोलन आगे बढ़ाने तथा बुद्ध धम्म के प्रचार के संबंध में चर्चा की गई।

3. दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, रायपुर -

दिनांक 21 और 22 जून 2014 को रायपुर के देवेन्द्र नगर स्थित बुद्ध विहार में छत्तिसगढ़ स्तरिय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के 97 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस शिविर में डॉ. निलिमा चौहान और आयु. केशव सोमकुवर ने प्रशिक्षण दिया। शिविर का आयोजन आयु. सुनिल गणविर तथा उनके साथियों ने किया।

➤ **हरियाना में धम्म प्रचार -** दिनांक 24 जून को हरियाना के हिसार शहर में एक सभा का आयोजन किया गया। यह सभा डॉ. आंबेडकर छात्रावास के हॉल में आयोजित की गई। इस सभा को डॉ. कुसूम मेघवाल, केशव सोमकुवर और स्थानिय कार्यकर्ताओं ने संबोधित किया।

दिनांक 25 जून को सिरसा शहर में स्थानिक संस्थाओं ने भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बुद्ध धम्म से संबंधित प्रश्न पुछे गये, जिनका उत्तर दिया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा बुद्ध धम्म से संबंधी प्रश्न पुछना इस बात का द्योतक है कि, उनको बुद्ध धम्म में रूचि है। आयु. हंसराज बौद्ध और उनके साथियों को यह कार्यक्रम सफल बनाने का श्रेय जाता है।

➤ स्वाक्षरी अभियान -

महाराष्ट्र शासन द्वारा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर का अप्रकाशित साहित्य प्रकाशित करने हेतु भारत के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों हस्ताक्षर प्राप्त किए गये, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को सौंपे जायेंगे।

समिति द्वारा आगामी कार्यक्रम

अखिल भारतीय धम्म ज्ञान परीक्षा-2014

दिनांक 10 अगस्त 2014 को महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, गुजरात, उत्तरप्रदेश और छत्तिसगढ़ राज्यों के लगभग 100 से अधिक केन्द्रों पर सुबह 11.00 बजे से 12.30 बजे के बीच अखिल भारतीय धम्मज्ञान परीक्षा का आयोजन होगा।